ÝSapkbth fodkl

ds fy,

ekxZn'khZ fl)kar

iLrkouk

''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' अप्रैल, 2005 में लागू की गई थी तथा मार्च, 2006 तक 10,000 से अधिक गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

यह स्कीम सभी ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित है ताकि सभी ग्रामीण आवासों को पांच वर्ष में बिजली मुहैया कराई जा सके। यह स्कीम ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की अत्यावश्यकता को स्पष्ट करती है। सभी ग्रामीण रिहायशों में बी.पी.एल. आवासों का निशुल्क विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सृजन की जा रही बुनियादों के अनुरक्षण और निर्बाध गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति के लिए राजस्व प्रवाह महत्वपूर्ण है। विद्युत आपूर्ति का राजस्व फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है। राज्य सरकर से राजस्व सब्सिडी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच भेदभाव–रहित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है ताकि इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। फ्रैंचाइजी गैर सरकारी संगठन, प्रयोक्ता एसोसिएशन, सहकारी संस्थाएं या कोई उद्यमी या पंचायत संस्थाएं हो सकती हैं।

मुझे खुशी है कि आर. ई. सी. द्वारा फ्रैंचाइजियों के लिए दिशानिर्देश संबंधी पुस्तिका तैयार की गई है। इस पुस्तिका में फ्रैंचाइजी विकास के लिए कुछ मॉडल, फ्रैंचाइजियों के लिए नमूना कारोबार योजना तथा एक मॉडल संविदागत करार निहित हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए फ्रैंचाइजियों के कुछ मॉडल भी इस पुस्तिका में शामिल किए गए हैं। मुझे यह विश्वास है कि यह पुस्तिका फ्रैंचाइजी नियुक्त करने की प्रक्रिया में कार्यरत संगठनों के लिए मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध होगी।

ह./

,-d- y[khuk

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड

fo"k; lwph

[k.M la-	C;kjk Ýapkbth dk fy, ekxZn'khZ fl)kUr	i`"B la
1.	भूमिका	1
2.	मार्गदर्शी सिद्धांत	1
3.	उद्देश्य	2
4.	फ्रैंचाइजी क्या है?	2
5.	–ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विद्युत वितरण के प्रबन्धन के संदर्भ में फ्रैंचाइजी क्या है?	2
6.	फ्रैंचाइजी मॉडल	3
7.	फ्रैंचाइजी संगठन	6
8.	फ्रैंचाइजी मॉडल (क, ख, तथा ग) के उत्तरदायित्व, बाध्यताएं तथा अधिकार	7
9.	फ्रैंचाइजी मॉडल (घ, ड., तथा च) के उत्तरदायित्व, बाध्यताएं तथा अधिकार	7
10.	संगठन/राज्य सरकार के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व	8
11.	संगठन के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व	9
12.	राज्य सरकार तथा एस ई आर सी के उत्तरदायित्व	9
13.	फ्रैंचाइजी की अर्हता तथा चयन प्रक्रिया	10
14.	टैरिफ निर्धारण	12
15.	फ्रैंचाइजी की कारोबार योजना	13
16.	फ्रैंचाइजी करार फार्मेट	14
17.	फ्रैंचाइजी की भागीदारी	15

ifjf'k"V

परिशिष्ट 1	सर्वेक्षण प्रश्नावली	17
परिशिष्ट 2	भुगतान करने के इच्छुक ग्रामीणों के लिए प्रश्नावली	30
परिशिष्ट 3	कारोबार का योजना तैयार करना–नमूना	33
परिशिष्ट 4	फ्रैंचाइजी करार फार्मेट का प्रारूप	37

Ýpkbth fodkl dk fy, ekxZn'khZ fl)kar

1- ifjp;

भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं तथा आवास विद्युतीकरण के लिए अप्रैल, 2005 में ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण'' योजना नामक एक नई स्कीम शुरू की है। यह स्कीम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी) के माध्यम से लागू की जा रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विद्यमान स्कीमों "एक लाख गावों तथा एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण" और ''न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम'' का इस नई स्कीम में विलय किया गया है।

2- ekxZn'khZ fl)kar

नए मार्गदर्शी सिद्धांतों का आशय फ्रैंचाइजी को शामिल किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है ताकि ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' नामक एक नई स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एम ओ पी विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों की निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जा सके :

i) फ्रैंचाइजियों के माध्यम से जो गैर सरकारी संगठन, एन जी ओ, प्रयोक्ता संघ, सहकारी संस्थाएं या उद्यमी व्यक्ति हो सकते हैं, ग्रामीण वितरण प्रबन्धन में पंचायत संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा। फ्रैंचाइजी व्यवस्था उपकेन्द्र से और उससे बाहर या वितरण ट्रांसफार्मर से तथा वहां से फीडरों की प्रणाली के लिए की जा सकती है।

ii) उपभोक्ता मिश्रण एवं वर्तमान उपभोक्ता शुल्क एवं संभावित लोड के आधार पर फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति शुल्क (बी एस टी) उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के पश्चात् तय किया जाएगा। जहां भी व्यवहार्य हो बी एस टी तय करने के लिए बोली लगाने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस ई आर सी) को राज्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत उनके राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव में एक शुल्क निर्धारण के लिए एक थोक आपूर्ति शुल्क को पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा। यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को एस ई आर सी द्वारा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क पर बिजली देना चाहती है तो उन्हें राज्य संगठनों को विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित राजस्व आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी। इस स्कीम को लागू करते समय राज्य सरकारों से निम्नलिखित के संबंध में पूर्व वचनबद्धता ले ली जाएं :–

(क) फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।

(ख) जैसा कि विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, राज्य संगठनों को राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित राजस्व आर्थिक सहायता प्रदान करना।

3- mnn' ;

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्‌देश्य फ्रैंचाइजियों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है, जिसमें विशेषतः निम्नलिखित अभिलक्षण शामिल होंगेः

(क) फ्रैंचाइजी कौन हो सकता है?

(ख) फ्रैंचाइजी की न्यूनतम तकनीकी/वित्तीय/विशेषज्ञता संबंधी अर्हता क्या होंगी?

(ग) फ्रैंचाइजी का चयन कैसे किया जाएगा?

(घ) फ्रैंचाइजियों के विभिन्न आकारों के लिए उनके उत्तरदायित्व और बाध्यताएं क्या होंगे? टैरिफ नियतन की पद्धति सहित उनके अधिकार क्या होंगे?

(ड.) संगठन के कर्तव्य/ उत्तरदायित्व तथा अधिकार क्या होंगे?

(च) पंचायत राज्य संस्थाओं (पी आर आईज़) के साथ अन्तरापृष्ठ क्या होगा?

4- Ýpkbth D;k g\

फ्रैंचाइजी को एक व्यक्ति, ग्रुप या कारोबार सत्ता के रूप में

परिभाषित किया जा सकता है**,** जिसे कारोबार करने तथा विशेष रूप से किसी अन्य अधिकार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष अधिकार दिया जाता है, जैसे उस सत्ता के ट्रेड मार्क, ट्रेड नाम या सर्विस मार्क के अधीन किसी विशेष क्षेत्र में उसकी वस्तुएं या सेवाएं बेचने तथा उसमें प्रायः मूल सत्ता द्वारा बनाए गए नियमों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग शामिल होता है और फीस, रायल्टी या अन्य उपयुक्त प्रतिपूर्ति के बदले में उसके द्वारा (मूल सत्ता) प्रदान की गई सेवाओं और सुविधाओं का प्रयोग भी शामिल होता ळें

5- xkeh.k {k=k e LFkkuh; fo|r forj.k d i c/ku d lnHk e Ýpkbth D;k g\

फ्रैंचाइजी राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त एक सत्ता है जिसे विद्युत की उत्पादन तथा वितरण प्रणाली का निर्धारित अवधि के लिए निश्चित समीपस्थ क्षेत्र में विकास/प्रचालन करने या वितरण के लिए उपलब्ध तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं से सीधे राजस्व वसूली करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। फ्रैंचाइजी को अपनी विद्युत आवश्यकता का उत्पादन करने, विद्युत संगठन से आपूर्ति की कुल खरीद करने (ऑफटेक) या दोनों का विकल्प प्राप्त हो सकता है। इसे अपने उप पारेषण नेटवर्क का राज्य सरकार/संगठन के समुचित अनुमोदन किए जाने पर, कुछ वर्षों के लिए क्षेत्र की लोड वृद्धि के आधार पर विस्तार करने का भी विकल्प प्राप्त होगा।

6- Ýpkbth eksMy

यद्यपि, फ्रैंचाइजी को अभिहित फ्रैंचाइजी क्षेत्र के अन्दर विद्युत का उत्पादन करने तथा वितरण भी करने के लिए अधिकार दिए जा सकते हैं तथापि वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों में मुख्यतः उन फ्रैंचाइजियों पर अधिक ध्यान दिया

गया है जो विद्युत वितरण से संबद्ध होंगी। अनुपूरक मार्गदर्शी सिद्धांत वितरित विद्युत वितरण निर्माण के लिए तैयार किए जाएंगे।

वितरित उत्पादन के लिए अनुपूरक मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

विद्युत के स्थानीय वितरण के प्रबन्धन के क्षेत्र में तीन(या चार) मूल मॉडल हो सकते हैं।

i½ jktLo olwyh dh fy, Ýpkbth&

ये फ्रैंचाइजी फ्रैंचाइजी युक्त क्षेत्र में अंतिम उपभोक्ताओं से संगठन की ओर से राजस्व वसूली करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होंगे।

¼d`Ik;k fuEufyf[kr ekWMy&d* rFkk *ekWMy&[k* ns[ksa½

ii½ Åtkz Ø;] foØ; rFkk olwyh djus okys Ýpkbth&

ये फ्रैंचाइजी संगठन से ऊर्जा क्रय करेंगे तथा फ्रैंचाइजी युक्त क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विक्रय करेंगे।

¼d`Ik;k uhps *ekWMy& x* ns[ks ½

iii½ Åtkz Ø; vkSj foØ;] olwyh rFkk ipkyu vkSj vuqj{k.k Ýpkbth&

ये फ्रैंचाइजी, क्रय, विक्रय तथा ऊर्जा बिलों को वसूल करने (ऊपर दिए गए अनुसार)के अतिरिक्त फ्रैंचाइजी युक्त क्षेत्र के भीतर स्थानीय वितरण प्रणाली के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

¼d`Ik;k uhps ekWMy&?k* ns[ksa½

फ्रैंचाइजी को राज्य तथा राज्य विद्युत संगठन की अनुमति से उसे वांछित प्रचालन के लिए सौंपे गए क्षेत्र में संगठन की विद्यमान बुनियादी सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए अनुमति होगी तथा वह फ्रैंचाइजी युक्त क्षेत्र के भीतर विद्युत के लिए उन बुनियादी सुविधाओं का स्वामी नहीं होगी जो उसके प्रचालन के दौरान उसके द्वारा सृजित नहीं की गई हैं।

iv½ Ýpkbth ds :Ik esa fo|qr lgdkjh lfefr

वे विद्युत सहकारी समितियां जो संबंधित राज्य सरकारों के वर्तमान सहकारी समिति अधिनियम के तहत सृजित की जाती हैं और जिन्हें अपने प्रचालन क्षेत्र में विद्युत बुनियादी सुविधा के स्वामी के रूप में (जो अधिकार उसे संगठन द्वारा अंतरित किया गया है) विद्युत आपूर्ति के प्रचालन और अनुरक्षण के उत्तरदायित्व सहित (अभिहीत) क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करने के कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है,इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं।

ekWMy&d% jktLo Ýpkbth&olwyh djus ij vk/kkfjr

इस प्रकार की फ्रैंचाइजी बिल तैयार करने, वसूली करने, शिकायतों का निवारण करने, नए सेवा कनेक्शन जारी करने को सुगम बनाने तथा संगठन को उचित फीडबैक प्रदान करने के लिए फ्रैंचाइजी युक्त क्षेत्र में वितरण नेटवर्क की स्थिति पर निगरानी रखने की सीमित

भूमिका के लिए विकसित की जा सकती है। वसूली करने वाली इन फ्रैंचाइजियों को किसी को एक क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा उन्हें प्रत्येक माह राजस्व वसूल करने के लिए एक लक्ष्य दिया जाएगा (जो उस क्षेत्र में बेसलाइन वसूली करने पर आधारित होता है।)

पारिश्रमिक दिए जाने की पद्धति में निम्नलिखित शामिल होगा :

i) लक्ष्य को प्राप्त करने पर फ्रैंचाइजी मार्जिन अदा करना (जो वसूल की गई राशि का एक प्रतिशत होगा),

ii) लक्ष्य प्राप्त न करने पर शास्ति लगाना।

तथा

iii) लक्ष्य से अधिक राशि वसूल करने पर प्रोत्साहन देना।
इस प्रणाली में कमी यह है कि फ्रैंचाइजी नुकसान में भागीदार नहीं होती है– क्योंकि उसकी प्रतिपूर्ति वसूल किए गए राजस्व से संबद्ध होती है– न कि उस क्षेत्र में आने वाली ऊर्जा लागत से। अतः इस मॉडल को अपनाए जाने को तरजीह नहीं दी गई हैं।

ekMy&[k % jktLo Ýspkbth & buiqV vk/kkfjr :–

इनपुट आधारित फ्रैंचाइजी के मामले में, फ्रैंचाइजी के कार्यक्षेत्र में इनपुट ऊर्जा का आंकलन संगठन द्वारा किया जाता है तथा राजस्व वसूली करने के लिए लक्ष्य संगठन द्वारा मीटर लगने के स्थान के बाद उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई इनपुट ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में वसूल किए गए राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनपुट आधारित फ्रैंचाइजी के प्रचालन तथा पारिश्रमिक की पद्धति वही है जो राजस्व वसूली करने वाले फ्रैंचाइजी के लिए है। इनमें मूल अंतर संगठन द्वारा लक्ष्य निर्धारण की व्यवस्था में है।

इनपुट आधारित फ्रैंचाइजी का क्षेत्र निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जाएगा :

i) फ्रैंचाइजी को आपूर्ति की गई ऊर्जा के मापन के
प्वाइंट/स्थान के रूप में 11 के.वी. फीडर/फीडरों के माध्यम से संगठन द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा तथा प्रत्येक 11 के. वी. फीडरों में मीटर लगाने की आवश्यकता होगी।

ii) उपरोक्त प्रणाली में विद्युत उन गावों में ट्रांसफार्मर लगाकर वितरण के लिए दी जा सकती है जहां फ्रैंचाइजी का प्रचालन क्षेत्र छोटा है।

राजस्व वसूल करने वाले फ्रैंचाइजियों की पद्धति की तुलना में इनपुट आधारित फ्रैंचाइजियों की पद्धति का अतिरिक्त फायदा यह है कि यह फ्रैंचाइजी नुकसान की कमी में भी भागीदार होते हैं तथा वितरण प्रणाली में चोरी को कम करने का प्रयास करते हैं।

ekMy&x ½ bui|V vk/kkfjr Ýpkbth

यह मॉडल राजस्व आधारित मॉडल जैसा ही है– अंतर केवल यह है कि फ्रैंचाइजी भी संगठन से बिजली खरीदेगा तथा पूर्व निर्धारित दर पर संगठन पर ऊर्जा प्रभार अदा करेगा। आपूर्ति/क्रय की गई ऊर्जा 11 के. वी. मीटर में दर्शाए गए यूनिटों के आधार पर होगी। फ्रैंचाइजी उपभोक्ताओं से राजस्व बिल तैयार करके वूसल करेगा ताकि वाणिज्यिक प्रचालन दीर्घावधि तक चल सके।

ekMy&?k ½ i|pkyu rFkk vu|j{k.k

इस मॉडल में, ऊपर मॉडल–ग में दर्शाए गए फ्रैंचाइजी प्रचालन के अतिरिक्त, संगठन, 11 के.वी. तथा एल टी फीडरों एवं वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्य भी सौंप सकता है जो मासिक रिटेनर आधार पर या समायोजित ऊर्जा क्रय मूल्य पर (संगठन का) आधारित होगा तथा फ्रैंचाइजी की ओ एण्ड एम लागत को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से आंका जाएगा।

ekMy&M½ xkeh.k fo|r lgdkjh lfefr;k

इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य द्वारा पारम्परिक विद्युत समिति का सृजन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इस समिति के सदस्य ही इसके स्वामी होते हैं और यह उन्हीं द्वारा संगठित व प्रचालित की जाती है, समिति वितरण संगठन परिसम्पत्तियों की स्वामी होती है तथा संगठन के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, जिसमें प्रचालन, तथा अनुरक्षण, मीटर लगाना, बिल तैयार करना तथा वसूली करना, लेखाकरण एवं वित्त, अधिप्राप्ति, भंडार तथा प्रणाली आयोजना और विस्तार शामिल है।

सहकारी समिति के प्रचालनों में निम्नलिखित शामिल हैं :

समुदाय को संगठित करती है तथा सदस्य बनाती है।

वितरण प्रणाली स्थापित करती है तथा परिसम्पत्तियों पर ऋण लेती हैं।

संगठन के प्रबन्धन तथा प्रचालन के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है।

राज्य विद्युत संगठन से विद्युत क्रय करती है।

सोसाइटी का गठन संस्था के ज्ञापन के माध्यम से किया जाता है तथा उसके निम्नलिखित मुख्य अभिलक्षण होते हैं :

i) सोसाइटी के अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक आवास सहकारी समिति का सदस्य होता है।

ii) प्रबन्धन का नियन्त्रण निदेशक बोर्ड होता है, जिनका चयन सहकारी समिति के सदस्यों (एक सदस्य – एक वोट) द्वारा किया जाता है।

iii) सहकारी समिति के निवल लाभ को सदस्यों में बांटा जाता है।

iv) सहकारी सोसाइटियां 'लाइसेंसधारी' होती हैं।

ekMy&p ¼ fo|r lgdkjh lfefr&lfonk d tfj, ipkyu ic/ku

सहकारी समिति का यह मॉडल उपर्युक्त मॉडल ड. का एक भिन्न रूप है, जिसमें सोसाइटी के संगठन की प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती है। सोसाइटी का निदेशक बोर्ड सोसाइटी के कार्यों में प्रणाली के स्वयं द्वारा प्रचालन के स्थान पर राज्य/संगठन की सहमति से उपयुक्त शुल्क व्यवस्था के साथ किसी बाहरी अनुभवी एजेन्सी/संगठन द्वारा चलाने का निर्णय ले सकता है। इसकी व्यवस्था अन्तर्निहित निष्पादन मानदण्ड के अधीन 'प्रचालन संविदा' के माध्यम से की जा सकती है।

कुशल प्रचालन संविदाकार (या प्रबन्ध एजेन्सी/संगठन) की नियुक्ति से विद्युत सहकारी सोसाइटी के दिन–प्रतिदिन के प्रचालनों में काफी सहायता मिल सकती है।

7- Ýpkbth lxBu

''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप प्रयोक्ता संघ, जैसे संगठन, गैर सहकारी संगठन जो सोसाइटियों के रूप में विधिवत् रूप से पंजीकृत हों अथवा व्यक्तिगत उद्यमी फ्रैंचाइजी हो सकते हैं जो ''ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसाइटी'' (मॉडल–ड.) को छोड़कर जो अनिवार्य केवल ''सहकारिताओं'' के लिए है, उपरोक्त मॉडलों को अपना सकते हैं।

8- Ýpkbth ekMy d] [k] rFkk x d mRrjnkf;Ro] ck/;rk, rFkk vf/kdkj

उपरोक्त फ्रैंचाइजी मॉडलों के अधिकार तथा बाध्यताएं निम्नलिखित हो सकते हैं :

(क) लागू टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए मीटर रीडिंग तथा बिलिंग।

(ख) बिल के अनुसार उपभोक्ताओं से राजस्व वसूल करना तथा वसूल किए गए राजस्व को समय–समय पर या प्रतिदिन जैसा संगठन द्वारा निर्धारित किया जाए, संगठन को सौंपना।

(ग) वाणिज्यिक तथा बिल संबंधी शिकायतों का निवारण करना।

(घ) फ्रैंचाइजी वाले क्षेत्र में वैद्युत नेटवर्क की स्थिति संबंधी फीडबैक।

(ड.) नए सेवा कनेक्शन देने को सुगम बनाना

9- Ýpkbth ¼?k] M- rFkk p½ d mRrjnkf;Ro] ck/;rk, rFkk vf/kdkj

फ्रैंचाइजी के अधिकारों तथा बाध्यताओं में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) फ्रैंचाइजी के क्षेत्र के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति।

(ख) वितरण प्रणाली की तकनीकी दक्षता को बढ़ाना, तकनीकी हानियों को कम करना, प्रणाली निष्पादन तथा राजस्व वसूली में सुधार के लिए नवाचारी समाधान सुझाना।

(ग) फ्रैंचाइजी के क्षेत्र में नए सेवा कनेक्शन देने, मीटर लगाने, मीटर पठन (रीडिंग), बिलिंग, राजस्व वसूली करते, डूबे ऋणों की वसूली करने, कनेक्शन काटने, पुनः कनेक्शन लगाने, ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के मुद्दों से संबंधित सभी वाणिज्यिक गतिविधियां।

(घ) फ्रैंचाइजी क्षेत्र में सभी उपस्करों तथा बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सभी मरम्मत करने/बदलने और अनुरक्षण संबंधी कार्यकलाप।

(ड.) सभी प्रचालनों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रकार के कर्मचारी, फ्रैंचाइजी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी व्यवस्था की जाएगी तथा उनके लिए भुगतान किया जाएगा और इसके लिए संगठन द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(च) फ्रैंचाइजी बिलिंग प्रणाली डाटाबेस का भलीभांति अनुरक्षण तथा प्रचालन करेगा और प्रणाली की समग्र सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करेगा।

(छ) फ्रैंचाइजी, संगठन को संविदा संबंधी डाटा, सूचना तथा विश्लेषण (अंतिम एफ ए में शामिल किए जाने के लिए) तथा संगठन द्वारा समय–समय पर मांगी गई अन्य कोई सूचना उपलब्ध कराएगा।

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि फ्रैंचाइजी वितरण प्रणाली में
(99%) उपलब्धता है तथा आपूर्ति की 'पर्याप्त' गुणवत्ता बनाए रखी गई है (इसके लिए मापन पैरामीटर तथा कार्य पद्धति तैयार की जाएगी) इस प्रयोजन के लिए फ्रैंचाइजी निष्पादन मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करेगा।

(झ) उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना (इसके लिए मापन पैरामीटर तथा कार्यपद्धति विकसित की जाएगी)

(ञ) संगठन के एक एजेंट के रूप में उन सभी विनियामक, विधिक तथा रिपोर्ट देने संबंधी शर्तों का अनुपालन करना, जो संगठन पर लागू हैं।

(ट) राज्य/संगठन की पूर्व अनुमति के बिना नेटवर्क की विद्यमान संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

(ठ) उन्हीं कार्य पद्धतियों का अनुपालन करेगा जो संगठन द्वारा वितरण प्रणाली, आयोजना तथा सुरक्षा मानकों के तथा वितरण प्रणाली प्रचालन मानकों के संबंध में अपनाए गए हैं।

(ड) फ्रैंचाइजी प्रणाली के दीर्घावधि प्रचालन के लिए सभी उपाय करेगा।

10- lxBu@jkT; ljdkj d dr0;@mRrjnkf;Ro

(क) फ्रैंचाइजी द्वारा अपने प्रचालनों के लिए नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों के लिए ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजना के समाप्त होने के पर्याप्त समय पूर्व राज्य विद्युत संगठन के सहयोग से समुचित जागरूकता पैदा करना तथा उपयुक्त प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

(ख) फ्रैंचाइजी के माध्यम से विद्युत वितरण की व्यवस्था की जानकारी ग्रामीण जनता सापेक्षतः कम है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि इस पूरी व्यवस्था के बारे में उन्हें बताया जाए तथा इच्छुक फ्रैंचाइजियों को इस संकल्पना की जानकारी दीं जाए।

(ग) विद्युत आपूर्ति प्रणाली के वर्तमान परिवेश में फ्रैंचाइजी के कारगर प्रचालन के लिए, यह अत्यावश्यक होगा कि विद्युत के बारे में लोगों को शिक्षित किए जाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं, जिनका उद्देश्य विद्युत संबंधी जानकारी देना हो। ऐसे कार्यकलाप का उद्देश्य प्राणी समूह को अनुचित रूप से खतरे में डाले बिना, लोड प्रबन्धन का प्रयोग करते हुए तथा बिजली के प्रयोग के लिए सुरक्षा मानदण्डों को अपनाते हुए उपलब्ध विद्युत का बेहतर उपयोग करना बताना है।

11- lxBu d dr0;@ mRrjnkf;Ro rFkk vf/kdkj

संगठन के निम्नलिखित उत्तरदायित्व तथा अधिकार हैं :–

(क) विद्युत आपूर्ति की कमी के मामले में संगठन फ्रैंचाइजी के प्रति भेदभाव रहित व्यवहार सुनिश्चित करेगा।

(ख) संगठन, उपकेन्द्र के लिए पूर्व निश्चित स्वीकार्य गुणवत्ता पर लोड पूर्वानुमानों के अनुसार पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करेगा। संगठन, फ्रैंचाइजी को किसी कमी या संविदागत विद्युत की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति न करने की असमर्थता की सूचना पहले ही देगा।

(ग) संगठन, उपकेन्द्र के प्राइमरी साइड तथा सेकेंडरी साइड पर (जहां लागू हो) उपकेन्द्रों में सभी विद्युत प्रवाहों के लिए संयुक्त रूप से मीटर लगाएगा तथा उनका मापन करेगा।

(घ) संगठन फ्रैंचाइजी के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों का अनुमोदन करेगा।

(ड.) संगठन, संविदा के लागू होने से पूर्व फ्रैंचाइजी को दिए गए संविदागत अधिकारों तथा उसकी बाध्यताओं की सूची तैयार करेगा तथा उन्हें फ्रैंचाइजी की संविदा में शामिल करेगा।

(च) उपकेन्द्र तथा अपस्ट्रीम नेटवर्क में विद्युत ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने अथवा बदलने के लिए उत्तरदायी होगा।

12- jkT; ljdkj rFkk jkT; fo|qr fofu;ked vk;ksx dk mRrjnkf;Ro

(क) विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना तथा ग्रामीण और शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के समय में भेदभाव रहित व्यवहार सुनिश्चित करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि फ्रैंचाइजी के लिए थोक आपूर्ति शुल्क (बीएसटी) का निर्धारण उपभोक्ता मिश्रण तथा प्रचलित उपभोक्ता शुल्क और उस क्षेत्र में लोड की सम्भावित अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि फ्रैंचाइजी वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य कार्य करने में सक्षम हो सके।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि थोक आपूर्ति शुल्क उपरोक्त के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा राजस्व आवश्यकता और टैरिफ निर्धारण के लिए राज्य संगठन की राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस ई आर सी) को प्रस्तुती में उसे पूर्णतः शामिल किया गया है।

(घ) राज्य संगठन को अपेक्षित राजस्व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना यदि वह किसी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विद्युत अधिनियम के अनुरूप एसईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ से कम चाहते हैं।

13- Ýspkbth dh vgZrk rFkk p;u izfdz;k%

(क) फ्रैंचाइजी की अर्हता

(ख) मॉडल – क तथा ख के लिए (मुख्यतः राजस्व वसूली करने के मॉडल पर आधारित)

,u th vks rFkk iz;ksDrk la?k के लिए, जो गत तीन वर्ष से अभीष्ट फ्रैंचाइजी क्षेत्र या जिला/राज्य में किसी सामाजिक उत्थान कार्यक्रम में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं तथा जिनकी ज़िला अधिकारी (डी एम/डी सी)/जिला विद्युत कमेटी द्वारा प्रमाणित की गई सिद्ध साख है फ्रैंचाइजी के तौर पर योग्य हो सकते है। उन संगठनों को वरीयता दी जानी चाहिए जिन्हें राज्य/केन्द्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य द्वारा या किसी अन्य विकासात्मक ऋण प्रदायक एजेन्सी द्वारा स्वीकृत विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए निधियों के संबंध में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।

O;fDrxr m|fe;ksa के मामले में, व्यक्तियों के पास पर्याप्त वित्तीय सामर्थ्य होनी चाहिए, जिसके समर्थन में बैंक का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो सके कि उसके पास कम से कम दो माह के राजस्व वसूली राशि के समतुल्य वित्तीय संसाधन हैं। उसका आवेदन फ्रैंचाइजी क्षेत्र की संबंधित पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(ख) ekMy & x तथा घ के लिए (इनपुट आधारित तथा ओ एण्ड एम फ्रैंचाइजी)

एन जी ओ, प्रयोक्ता संघ (यू ए) तथा वैयक्तिक उद्यमीः

मानदण्ड जैसे कि ऊपर (क) में उल्लिखित है इसके अलावा, lxBuk vkj 0;fDr;k ऐसे की वित्तीय तथा प्रचालन संबंधी संतोषजनक क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिएः

विकास कार्यक्रम को पूरा करने की प्रमाणित उपलब्धि, जिसमें फ्रैंचाइजी क्षेत्र की वार्षिक राजस्व वसूली/प्रक्षेपित राजस्व वसूली के समतुल्य राशि (उससे कम नहीं) का परिव्यय शामिल हो।

उनके अभ्यर्थन के समर्थन में फ्रैंचाइजी क्षेत्र के जिला प्राधिकारियों/जिला विद्युत कमेटियों की सिफारिश।

पूर्ण कालिक आधार पर कम से कम पांच कुशल/अर्धकुशल (व्यक्ति) कर्मचारी रखता हो (या रखने की क्षमता रखता हो) ।

वैयक्तिक उद्यमी के मामले में, उसे भी यह मानदंड पूरा करना चाहिए तथा वैद्युत उद्योगों से संबद्ध कारोबार प्रचालनों के प्रकार के लिए, जिसके लिए कृतक बल नियुक्त किया गया था, प्रत्यय पत्र सुनिश्चित करे।

इन संगठनों तथा व्यक्तियों से स्पष्ट वचन लेना कि वे राज्य सरकार/राज्य संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम का अनुपालन करेंगे तथा उसमें भाग लेंगे।

ये संगठन आवेदन के साथ अपने अभ्यर्थन के समर्थन में अपने संसाधनों की व्यवस्था से निर्धारित फार्मेट के अनुसार ''सर्वेक्षण प्रश्नावली'' तथा ''भुगतान के लिए इच्छुक प्रश्नावली'' भी प्रस्तुत करेंगे।

(ग) मॉडल – ड. तथा च के लिए (सहकारिता के आधार पर फ्रैंचाइजी)

संगत अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए विद्यमान प्रावधान/मानदंडों को, यदि आवश्यक हो, संशोधित किया जाए ताकि निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकेः

(ख) p;u izfØ;k

चयन का व्यापक सिद्धान्त पिछले वर्ष के स्तर पर विद्युत आपूर्ति के अधीन संगठनों के लिए सर्वाधिक अनुकूल बी एस टी पर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली होगा।

निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है :

(क) संगठन द्वारा संलग्न सर्वेक्षण प्रश्नावली के अनुसार भुगतान की इच्छा सहित प्रयोक्ताओं के सर्वेक्षण को पूरा किया जाना और इसे बोली दाताओं को भी बताया जाना है।

(ख) संगठन विशिष्ट क्षेत्र/कार्य के लिए फ्रैंचाइजी के चयन का आशय सूचित करेगा। स्थानीय तथा राज्य स्तरीय अखबारों में अधिसूचना देना (कम से कम दो अखबार), जिला विद्युत कमेटी को सूचना देना जिला परिषद, पंचायत समिति तथा सभी संबंधित पंचायतों को सूचित करना।

(ग) इच्छुक व्यक्तियों/संगठनों द्वारा अपने योग्यता विवरण एस ओ क्यू के साथ ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' (एक्सप्रेषन ऑफ़ इंटरेस्ट) प्रस्तुत की जाए।

(घ) बोलीदाताओं का चयन योग्यता के आधार पर होगा।

(ड.) तत्पश्चात् बोलीदाता अपने वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(च) तीन सर्वोत्तम बोलीदाताओं का निम्नलिखित प्रकार से चयन किया जाएगा :

प्रथम सफल बोलीदाता

उद्यत बोलीदाता

प्रतीक्षा–अधीन बोलीदाता

14- 'kYd fu/kkj.k

फ्रैंचाइजी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को विद्युत के वितरण के लिए शुल्क निर्धारण निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर किया जा सकता है :

fodYi& I

संगठन के विद्यमान शुल्क का अनुपालन करना जो कि विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए तथा राज्य विद्युत संगठन से उपयुक्त थोक आपूर्ति शुल्क के नियतन के लिए तथा फ्रैंचाइजी की वाणिज्यिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्रय के लिए होगा। उन्हें परिशिष्ट– III में दर्शाए गए अनुसार शुल्क के ऐसे नियतन के लिए प्रतिनिधि कारोबारी योजना प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

fodYi& II

उपभोक्ताओं की भुगतान करने की क्षमता तथा विद्युत का मूल्य अदा करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए

(क) राज्य विद्युत संगठन के प्रचलित शुल्क से कम

(ख) राज्य विद्युत संगठन के प्रचलित शुल्क से अधिक

फ्रैंचाइजी के लिए बी एस टी निर्धारण के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाना आवश्यक है:

क) फ्रैंचाइजी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र का उपभोक्ता मिश्रण।

(ख) फ्रैंचाइजी क्षेत्र के अन्दर आपूर्ति किए जाने वाले लोड की संभावित मात्रा।

(ग) फ्रैंचाइजी की वाणिज्यिक व्यवहार्यता

लोड की सम्भावित मात्रा सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रचालन के आरम्भिक वर्षों में निम्नलिखित अस्थायी मानदण्ड अपनाए जाना जाहिए:

duDV fd;k x;k ykM

(i) बी पी एल आवासों के लिए – 60 वॉट से अधिक नहीं।

(ii) गैर – बी पी एल आवासों के लिए – 500 वॉट से अधिक नहीं।

(iii) अन्य उपभोक्ताओं के वर्ग के लिए जैसे वाणिज्यिक, ग्रामीण उद्योगों, कृषि पम्प सेटों आदि के लिए, आसपास के विद्युतीकृत क्षेत्र के विद्यमान प्रयोग पैटर्न या राज्य में प्रयोग के पैटर्न, को अपनाया जाना चाहिए।

फ्रैंचाइजी प्रचालन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यय पूरा करने के बाद अधिकतम 10% तक की आय पर विचार किया जा सकता है।

15- Ýkpkbth dh 0;olk;& ;kstuk

फ्रैंचाइजी के लिए अवसर को परिभाषित करने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से मॉडल – ग तथा घ के अन्तर्गत निर्धारित मॉडलों के लिए एक व्यवसाय योजना तैयार करना आवश्यक होगा जिससे निम्नलिखित सुविधाजनक होगा:

(क) फ्रैंचाइजी के कार्यकलाप का स्वरूप

(ख) कार्यकलाप कैसे तथा किस लागत पर किए जाएंगे?

(ग) बिजली का मूल्य क्या होगा जिस पर फ्रैंचाइजी बिजली क्रय कर सके जिससे कि उसका वाणिज्यिक प्रचालन व्यावहारिक हों।

(घ) सम्भावित उपभोक्ताओं तथा विद्युत के उस मूल्य का पता लगाना जिसे वह वहन कर सकें।

(ड.) फ्रैंचाइजी की अपनी लागत तथा उसकी तुलना में अधिशेष का अनुमान जिसे वह अपने लिए रखना चाहता है।

मॉडल घ के अनुसार फ्रैंचाइजी प्रचालन के लिए एक प्रतिनिधि व्यवसाय योजना परिशिष्ट – III में संलग्न है। यह मॉडल – घ के लिए भी, तथा सहकारिता मॉडल के लिए भी अभिप्रेत है।

विद्युत की परिवर्ती लागत, तथा टैरिफ सहित जो ''सम्भावित'' ''आशापूर्ण'' तथा ''निराशावादी'' स्थितियों में उपभोक्ताओं को प्रभावित किया जा सकता है, व्यवसाय के पैरामीटरों की विभिन्न अपेक्षाओं के अन्तर्गत योजना पर कुछ संवेदी विश्लेषण किया जाना भी अनिवार्य है।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य व्यवसाय योजना को निश्चित करना है और इसलिए संबंधित राज्य विद्युत संगठन को फ्रैंचाइजी के सफल विकास के लिए फ्रैंचाइजी विकास के सिद्धांत अवगत कराना पड़ सकता है। फ्रैंचाइजी के लिए व्यवसाय योजना में निम्नलिखित अवश्य शामिल होना चाहिए :

(क) पैरा – 6 में वर्णित मॉडलों में से फ्रैंचाइजी के विशेष प्रकार को अपनाना।

(ख) सम्भाव्य ग्राहकों की पहचान करना।

(ग) यह निश्चित करना कि व्यवसाय कैसे किया जाएगा और विद्युत को किस मूल्य पर खरीदा और बेचा जाएगा।

(घ) उसकी अपनी लागत तथा अधिशेष का अनुमान लगाना जिसे वह अपने लिए रखना चाहता है।

16- Ýpkbth djkj QkeV

अभिप्रेत फ्रैंचाइजी करार में निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत विवरण निहित होने चाहिए :

क्या संविदा फ्रैंचाइजी तथा फ्रैंचाइजर का संरक्षण करता है।

क्या दोनों पक्षों के अधिकार तथा दायित्व स्पष्टतः उल्लिखित है?

जिस विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत फ्रैंचाइजी तथा फ्रैंचाइजर दोनों को कार्य करना है वह क्या है?

क्या संविदा में उस प्रचालन के प्रकार और आकार के बारे में विशेष उल्लेख है, जिसका फ्रैंचाइजी द्वारा प्रबन्धन किया जाना है?

क्या फ्रैंचाइजी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के स्वरूप, अवधि, और सीमा का वर्णन संविदा में किया गया है?

क्या फ्रैंचाइजी को फ्रैंचाइजी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न भुगतानों का उल्लेख किया गया है?

अन्य नियत भुगतान

प्रणाली के समुचित प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अनिवार्य आपूर्ति का स्रोत।

यदि संगठन द्वारा बाधित आपूर्ति की जाती है तो फ्रैंचाइजी की प्रतिपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

फ्रैंचाइजी द्वारा फ्रैंचाइजर को प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न एम आई एस रिपोर्ट।

फ्रैंचाइजी संविदा की अवधि तथा संविदा के नवीकरण की शर्तें।

अभिप्रेत फ्रैंचाइजी प्रचालन के लिए फ्रैंचाइजी को आबंटित क्षेत्र।

संविदा को समाप्त करने के कारण तथा उसके निबंधन और शर्तें।

यदि संविदा में कोई चूक होती है तो स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिनकी अनुमति दी जा सकती है?

विवाचन (arbitration) धारा

क्या फ्रैंचाइजी को संविदा की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि में कार्यरत होने से रेाका गया है?

उपर्युक्त तथा अन्य संगत पहलुओं के आधार पर एक ड्राफ्ट (नमूना) फ्रैंचाइजी करार जो मॉडल – घ (प्रचालन तथा अनुरक्षण फ्रैंचाइजी) पर लागू हो, परिशिष्ट – IV में संलग्न है।

यदि किसी कारण से राज्य, मॉडल क तथा ख (राजस्व वसूली फ्रैंचाइजी) के लिए विकल्प देते हैं तो ऐसे राज्य विद्युत संगठनों/राज्य सरकारों की अपनी प्रलेखन प्रक्रिया होगी जिसमें, विशेषतः फ्रैंचाइजी का राजस्व वसूल करने के उत्तरदायित्व तथा प्रतिपूर्ति/पारिश्रमिक जो उन्हें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने के बाद अदा किया जाएगा, की सम्बद्ध पद्धति को शामिल किया जाएगा तथापि संभवतः ये फ्रैंचाइजी मॉडल संगठनों द्वारा उनके ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण के विद्यमान ढांचे के अन्तर्गत दीर्घावधि प्रचालनों के लिए लागू न हों।

17- ipk;rk dh Hkkxhnkjh

(क) पंचायती राज तंत्र को भी ग्रामीण वितरण प्रबन्धन के प्रति सहभागी दृष्टिकोण के सम्प्रेषण तथा परामर्श के लिए आरम्भिक स्तर पर आपसी बातचीत के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) जिला स्तरीय पंचायत की भूमिकाः
विद्युत अधिनियम, 2003 प्रत्येक (जिला में विद्युतीकरण के समन्वयक तथा समीक्षा के लिए और आपूर्ति की गुणवत्ता तथा ग्राहकों की सन्तुष्टि की समीक्षा के लिए जिला समितियों (धारा–166(5) की भूमिका की संकल्पना करता है। जिला स्तर पर पंचायतों के प्रतिनिधि ऐसी कमेटियों में, विशेषकर स्थानीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन में तथा ग्रामीण स्तरीय योजनाएं तैयार करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को सहायता देने के लिए सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। तत्पश्चात् ये कार्यान्वयन एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में निर्णय लेने के मामलों में अहम् भूमिका अदा कर सकते हैं।

(ग) वितरण परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा उनके प्रबन्धन द्वारा विद्युत के वितरण के लिए ग्राम पंचायत को उत्तरदायित्व सौंपना तथा पंचायत विद्युत उत्पादन करने और उनके क्षेत्रों में उसका वितरण

करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना मूलतः एक ''लाइन कार्य'' है जो पंचायत का वांछित कार्य नहीं हो सकता है जबकि पंचायत सरकारी तंत्र का तृतीय आधार होने के कारण विनियमन के लिए उत्तरदायी हो सकती है। सम्भवतः यह अधिक सार्थक होगा यदि मध्यस्थ स्तर अर्थात पंचायतों को (प्रस्तावित फ्रैंचाइजी व्यवस्था के क्षेत्राधिकार के अन्दर ताल्लुक/पंचायत समिति, जैसा भी मामला हो) ग्रामीण पंचायतों के चयन से संबद्ध किया जाए तथा अवसरों के निर्माण के लिए और स्थानीय जनता को संवेदी बनाने एवं इन्हीं कार्यों में लगे लोगों के क्षमता निर्माण के लिए भी उन्हें उत्तरदायी बनाया जाए। अतः पी आर आई की भूमिका की संकल्पना इस रूप में की गई है कि वह फ्रैंचाइजी के विकास के लिए संगठन की अभिप्रेत कार्रवाई का निरीक्षण करे और जब फ्रैंचाइजी की स्थापना हो जाए तो एक परामर्शदाता की हैसियत से उसका निरीक्षण यह देखने के लिए करे कि वह (फ्रैंचाइजी) अपने उत्तरदायित्व का समुचित रूप से निर्वहन कर रहा है।

(घ) पी आर आई फ्रैंचाइजी व्यवस्था के साथ प्रमुखतः फ्रैंचाइजी तथा ग्रामीणों/उपभोक्ताओं और संबंधित राज्य प्राधिकारियों के बीच कड़ी के रूप में निकट रूप से सम्बद्ध हो सकते हैं।

परिशिष्ट–I

lo{k.k i'ukoyh

गैर – विद्युतीकृत तथा विद्युतीकृत परिवार सर्वेक्षण फार्म

1.1 अभीष्ट फ्रैंचाइजी का नाम 1.2 फ्रैंचाइजी का क्षेत्र 1.3 जनसंख्या कोड संख्या सहित गांव का नाम 1.4 सूचना एकत्र करने की तारीख
1.5 घर में परिवार के मुखिया का नाम 1.6 गांव 1.7 ब्लॉक 1.8 जिला 1.9 राज्य

कोड निर्धारण (–7) = लागू नहीं होते, (–8) = कोई उत्तर नहीं,
(–9) = लुप्त मान

Hkkx&2% lkekftd & vkfFkd lwpuk

2.1 क	घर में परिवार के मुखिया (व्यक्ति) का नाम व्यक्ति का लिंग : कोड– 1– पुरुष 2 – महिला
2.1 ख	व्यक्ति की आयु :
2.1 ग	व्यक्ति का शैक्षिक स्तरः 0 – कभी स्कूल नहीं गए 1 – प्राइमरी स्कूल 2 – माध्यमिक स्कूल 3 – उच्च स्कूल 4 – कॉलेज शिक्षा 5 – विश्वविद्यालय शिक्षा 6 – स्नातकोत्तर शिक्षा
2.2	घर के मुखिया से व्यक्ति का संबंध, यदि मुखिया प्रश्नावली के उत्तर देने के लिए उपलब्ध नही हो तो : 1 – घर का मुखिया 2 – घर के मुखिया की पत्नी या पति 3 – पुत्री 4 – पुत्र 5 – पुत्र – वधु 6 – दामाद 7 – अन्य, निर्दिष्ट करें.....
2.3	सामान्यतः कितने व्यक्ति उस मकान में खाते – पीते – अथवा रहते हैं।(उम्र के अनुसार भरें)
2.3 क	6 वर्ष से कम
2.3 ख	7 – 17 वर्ष
2.3 ग	18 – 60 वर्ष
2.3 घ	61 वर्ष तथा अधिक
2.3 ड.	कुल
2.4	परिवार में कितने व्यक्ति अर्जन करते हैं? (सभी प्रकार की अर्जित आय को शामिल करें)

[k.M 3 & vkoklh; bdkbZ

3.1	रिहायशी इकाई का प्रकार 1 – लकड़ी का निर्माण 2 – ईंट का निर्माण (ईंट) कंकरीट ब्लॉक 3 – ईंट तथा लकड़ी का निर्माण 4 – बांस से निर्मित दीवार 5 – अन्य, उल्लेख करें .....
3.2	रिहायशी इकाई की छत निर्माण की मुख्य सामग्री 1 – धातु की शीट की छत 2 – बांस/ स्ट्रॉ के रेशे/ पत्तों की छत 3 – पक्की ईंट 4 – अन्य, उल्लेख करें.....
3.3	क्या मकान का कोई भाग व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रयोजन या घरेलू उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात परिवार का मुखिया या परिवार का कोई सदस्य व्यवसाय का मालिक है या व्यवसाय चलाता है। (1) – हॉ, (0) – नहीं, यदि ' नहीं' तो प्रश्न 3.5 को देखें
3.4	यदि मकान का कोई भाग व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है तो उसका प्रकार बताएं 1 – कृषि संबंधी औजारों की मरम्मत 2 – हेयर सैलून या नाई की दुकान 3 – खाद्य एवं पेय दुकान (अर्थात रेस्टोरेंट) 4 – मसालों व पेय की दुकान 5– पेय की दुकान 6– रिटेल स्टोर 7– हस्तशिल्प का निर्माण अथवा हस्तशिल्प की दुकान 8– दर्जी/ड्रेस मेकर 9–चावल की मिल 10– छोटी आरा मशीन/ फर्नीचर फैक्टरी 11– अन्य, निर्दिष्ट करें.....
3.5	क्या व्यक्ति मकान का स्वामी है या किराए पर है? (1) – स्वामी है, (2) – किराए पर है

Hkkx & 4 jk'kuh d fy, Åtk d lkr

	मकान में रोशनी के लिए ऊर्जा के सामान्य स्रोत हैं कोडः हॉ – (1), नहीं – (0)
4.1	ग्रिड से बिजली
4.2	मिट्टी का तेल
4.3	डीजल
4.4	निजी जैनरेटर /समुदाय के जैनरेटर से बिजली
4.5	अन्य, निर्दिष्ट करें... खाना पकाने, पानी उबालने तथा गरम करने के लिए ऊर्जा के स्रोत तथा उनके प्रयोग की बारम्बारता। परिवार में, खाना पकाने के लिए निम्नलिखित ईंधन को कितनी बार प्रयोग किया जाता है। कोड 0 – प्रयोग नहीं करते 1 – कुछ समय के लिए प्रयोग करते हैं। 2 – अधिकांश समय प्रयोग करते हैं। 3 – सदैव प्रयोग करते हैं।
4.6	कृषि का अपशिष्ट जिसमें पुआल व तना शामिल हैं।
4.7	टहनियां या छोटे पेड़ की शाखाएं
4.8	छीजन लकड़ी
4.9	ईंधन लकड़ी
4.10	काठ कोयला
4.11	बुरादा
4.12	एल पी जी
4.13	बिजली

[k.M 5 & fctyh

5.0	परिवार में बिजली कनेक्शन का स्रोत क्या है?
5.1	परिवार में बिजली कितने वर्षों से हैं? .....वर्ष
5.2	परिवार द्वारा प्रत्येक बिल अवधि के लिए बिजली का औसतन कितना भुगतान किया जाता है?.....रु0
5.3	प्रत्येक बिल कितने दिन का होता है?.....दिन
5.4	परिवार, मासिक बिजली बिल कैसे अदा करता है? (1) – प्रयुक्त के डब्ल्यू एच के आधार पर (2)–रोशनी के बल्ब/ ट्यूब और उपकरणों की संख्या के आधार पर (3) – निश्चित मासिक लागत (यदि उत्तर (2) या (3) है तो प्रश्न 5.6 को देखें)
5.5	यदि प्रयुक्त के डब्ल्यू एच के आधार पर भुगतान किया जाता है तो परिवार प्रति के डब्ल्यू एच कितना भुगतान करता है..... रु0
5.6	यदि भुगतान रोशनी के बल्बों/ट्यूबों या उपकरणों की संख्या या नियत मासिक लागत के आधार पर किया जाता है तो :
5.6 क	तो आपके पास कितने बल्ब तथा कितनी ट्यूबें हैं? .....बल्ब/ट्यूबें
5.6 ख	सभी बल्बों/ ट्यूबों की औसत वाल्टेज क्या हैं? .....व्हाट्स
5.7	क्या चावल पकाने के लिए परिवार में बिजली का प्रयोग किया जाता है? (1) – हॉ, (2) – नहीं
5.8	क्या परिवार में बिजली का प्रयोग पानी उबालने के लिए किया जाता है? ((1) – हॉ, (2) – नहीं
5.9	क्या परिवार में बिजली का प्रयोग टी वी के लिए किया जाता है? (1) – हॉ, (2) – नहीं
5.11	दिन के समय में बिजली कितने घंटे उपलब्ध रहती है.....घंटे
5.12	शाम को तथा रात्रि में बिजली कितने घंटे उपलब्ध रहती है..... घंटे
5.13	क्या निम्नलिखित में से कोई ऊर्जा स्रोत बिजली के अनुपूरक स्वरूप रोशनी के लिए प्रयोग किया जाता है कोड (1) – हॉ, (0) – नहीं
5.13 क	मिट्टी के तेल का लालटेन
5.13 ख	दाबयुक्त लैम्प
5.13 ग	अन्य कोई स्रोत.....
5.14	परिवार में बिजली की रोशनी के अनुपूरक आपूर्ति के लिए प्रतिमाह औसतन कितना खर्च किया जाता है.....रु0

[k.M 5-1 & fctyh dh midj.k j[kuk

	परिवार में निम्नलिखित में से कौन से उपकरण हैं (जो नहीं है उसके लिए (0) का प्रयोग करें)
5.15	चावल कुकर
5.16	पकाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर
5.17	इलेक्ट्रिक केतली
5.18	इलेक्ट्रिक पावर ड्रिल / आरा
5.19	इलेक्ट्रिक मोटर / पंप
5.20	पंखा
5.21	आयरनिंग
5.22	रेफ्रिजरेटर
5.23	टेलीविजन
5.24	वाशिंग मशीन
5.25	रेडियो / टेप केसेट
5.26	कोई अन्य, निर्दिष्ट करें.. ।

[k.M 6& 0;olk; rFkk@vFkok mRiknd dk;kZ d fy, fctyh dk iz;ksx

6.1	क्या मकान में व्यवसाय के लिए बिजली का प्रयोग होता है या (1)– हॉ, (0) नहीं, यदि उत्तर (0) है तो प्रश्न 7.1 देखें) क्या बिजली का प्रयोग रोशनी के लिए या घरेलू व्यवसाय/ उद्योग/ कृषि कार्य के लिए किया जाता है? यदि हां तो घरेलू व्यवसाय/उद्योग/कृषि कार्य में प्रयुक्त बिजली ऊर्जा स्रोतों का निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है?
6.2	क्षेत्र की रोशनी व्यवसाय के लिए (अर्थात स्टोर/दुकान में शाम को रोशनी के लिए या हस्तशिल्प आदि के लिए) (1)– हॉ, (0) – नहीं, यदि नहीं तो प्रश्न 6.3 देखें
6.2	0;olk; djus d fy, शाम को सामान्यतः कितने घंटे क्षेत्र की रोशनी को ऑन रखा जाता है (अर्थात स्टोर/दुकान में रोशनी के लिए या हस्तशिल्प आदि के लिए)...........घंटे/शाम।
6.3	शाम को vf/kd dk;l djus d fy, रोशनी कोड (1) – हॉ, (0) – नहीं
6.4	औजार/मोटर/मशीन/पंप/कृषि साधनों में बिजली के प्रयोग के लिए कोड (1) – हॉ, (0) – नहीं
6.5	ग्राहकों के मनोरंजन के लिए टीवी/वीडियो (1) – हॉ, (0) – नहीं
6.6	कोई अन्य प्रयोग (1) हॉ, निर्दिष्ट करें , (0) – नहीं

[k.M & 7& feVVh dk rsy

7.1	पिछले 12 माह के दौरान परिवार ने कितनी बार रोशनी के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग किया है? (0) – नहीं, प्रयोग नहीं किया, यदि नही ंतो प्रश्न 8.1 देखें (1) – कभी – कभी प्रयोग किया (2) – अधिकांश समय प्रयोग किया (3) – सदैव प्रयोग किया
7.2	किस माह के दौरान परिवार में मिट्टी के तेल का प्रयोग हुआ (कृपया प्रयोग का प्रयोजन तथा प्रयोग की अवधि (घंटों में) बताएं)।
7.3	परिवार प्रतिमाह औसतन कितना मिट्टी के तेल पर व्यय करता है?.....रु0
7.4	परिवार प्रतिदिन सामान्यतः कितने लीटर मिट्टी का तेल खरीदता है तथा उसकी प्रति लीटर कीमत? (प्र0 7.4 क) लीटरों की संख्या (प्र0 7.4 ख) प्रति लीटर मूल्य (रुपयों में)
7.5	खरीद की तारीख से मिट्टी का तेल कितने दिन में समाप्त हो जाता है?.....दिन
7.6	यदि परिवार मिट्टी का तेल प्रयोग करता है तो एक माह में कितने लीटर प्रयोग होता है?

[k.M &8& xSj fo|qr izdk'k lk/kh miLdj

8.1	परिवार किस प्रकार गैर विद्युत प्रकाश संबंधी उपस्कर का प्रयोग करता है? (0) – प्रयोग नहीं करता है। यदि प्रयोग नहीं करता है तो प्रश्न 91 देखें (1) – बिजली स्रोतों के अनुपूरक (2) – प्रकाश के लिए मुख्य स्रोत
8.2 क	परिवार में मिट्टी के तेल के कितने लैम्प हैं?.............लैम्प (कोई नही ंके लिए (0), यदि ''कोई नहीं'' तो प्रश्न 8.3 क देखें)
8.2 ख	परिवार मिट्टी का तेल कितनी बार प्रयोग करता है? (0) – कभी नहीं (1) – कभी – कभी (2) – अधिकांशतः (3) – सदैव
8.3 क	परिवार में कितने दाबयुक्त मिट्टी के तेल के लैम्प हैं?............लैम्प (कोई नही ंके लिए ''0'', यदि ''कोई नहीं'' है तो प्रश्न 8.4 क देखें)
8.3 ख	परिवार दाबयुक्त मिट्टी के तेल के लैम्प का कितनी बार प्रयोग करता है? (0) – कभी नहीं (1) – कभी – कभी (2) – अधिकांशतः (3) – सदैव
8.4 क	परिवार में कितने लालटेन हैं?.....................लैम्प (कोई नही ंके लिए ''0'' यदि ''कोई नही'' है तो प्रश्न 8.5 क देखें)
8.4 ख	परिवार कितनी बार लालटेन का प्रयोग करता है? (0) – कभी नहीं (1) – कभी – कभी (2) – अधिकांशतः (3) – सदैव
8.5 क	परिवार में अन्य गैर – विद्युत प्रकाश संबंधी उपस्कर कितने हैं? ....कृपया संख्या बताएं
8.5 ख	परिवार कितनी बार अन्य गैर – विद्युत प्रकाश संबंधी उपस्कर का प्रयोग करता है? (0) – कभी नहीं (1) – बहुत कम (2) – कभी – कभी (3) – सदैव

[k.M 9& mRiknd dk;k d fy, Åtk dk i;kx

	क्या घरेलू व्यवसाय/उद्योग/कृषि कार्यों के लिए रोशनी हेतु या अन्य कार्य के लिए निम्नलिखित ईंधन या ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? (1) – हाँ (0)– नहीं यदि सभी 5 प्रश्नों का उत्तर ''नहीं'' है (प्रश्न 3.1, 9.2, 9.3, 9.4 तथा 9.5 तो प्रश्न 14.1 देखें) हां नहीं
9.1	मिट्‌टी का तेल
9.2	डीज़ल
9.3	प्राइवेट जेनरेटर या समुदाय के जेनरेटर से बिजली
9.4	ग्रिड से बिजली
9.5	0;olk; d fy, क्षेत्र की रोशनी (अर्थात सांयकाल स्टोर/दुकान में रोशनी या हस्तशिल्प आदि के लिए) सामान्यतः कितने घंटे/सांयकाल रोशनी चालू रहती है (1) – 'हाँ' (0) – 'नहीं' यदि ''नहीं'' तो प्रश्न 9.7 देखें।
9.6	व्यवसाय करने के लिए (अर्थात स्टोर/ दुकान खोलने के लिए या हस्तशिल्प के लिए)................घंटे/सांयकाल
9.7	सांयकाल में vf/kd dk;! d fy, रोशनी कोड (1) हाँ (0) नहीं
9.8	उत्पादन के लिए प्रयुक्त miLdj@vktkjk dh ejEer के लिए कोड (1) हाँ (0) नहीं
9.9	vktkj ;k ekVj ;k e'khu jfQtjVj dk fo|r l pykur d fy, कोड (1) – हाँ (0) – नहीं
9.14	ग्राहकों के मनोरंजन के लिए टी वी / वीडियो (1) हॉ (0) नहीं
9.15	चावल की मिल या आटा चक्की (1) – हाँ (0) – नहीं

[k.M 10 & vk;

10.1	पिछले 12 माह के दौरान परिवार की d|y x|j df"k आय क्या थी?
10.2	पिछले 12 माह के दौरान आपके परिवार की d|y df"k आय क्या थी?

[k.M 11 & o|qr miLdj j[kuk

	कोडः (1)–कुकर, (2)–ब्लैक एण्ड व्हाईट टेलीविज़न, (3)–पंखा, (4)–वॉशिंग मशीन, (5)–रेडियो, (6)–प्रैस, (7)–खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर, (8)–स्टीरियो, (9)–पिसाई मशीन, (10)–उत्पादक प्रयोजनार्थ बिजली चालित मशीनें तथा/अथवा औजार, (11)–अन्य, उल्लेख करें। उपर्युक्त कोडिंग का प्रयोग निम्नलिखित प्रश्नों के लिए करें।
i- 11-1	iFke midj.k dku lk ilUn djsx\ यदि परिवार को प्रकाश के अलावा प्रयोग के लिए विद्युत उपलब्ध हो जाए तो वह घर/व्यवसाय के लिए उपरोक्त में से कौन सा प्रथम उपकरण के रूप में लेना चाहेंगे?
i- 11-2	f}rh; midj.k dku lk ilUn djsx\ यदि परिवार को प्रकाश के अलावा प्रयोग के लिए विद्युत उपलब्ध हो जाए तो वह घर/व्यवसाय के लिए उपरोक्त में से कौन सा द्वितीय उपकरण के रूप में लेना चाहेंगे?
i- 11-3	rrh; midj.k dku lk ilUn djsx\ यदि परिवार को प्रकाश के अलावा प्रयोग के लिए विद्युत उपलब्ध हो जाए तो वह घर/व्यवसाय के लिए उपरोक्त में से कौन सा तृतीय उपकरण लेना चाहेंगे।

[k.M 12 & fctyh d ifr ifjokj dk nf"Vdk.k!

fuEufyf[kr dkfMx dk i;kx fd;k tk,A

	(1) – पूर्णतः सहमत, (2)–सहमत, (3) –कोई राय नहीं (4) – असहमत, (5)–बिल्कुल स्वीकार्य नहीं।
12.1	यह सत्य है कि विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक सुविधाजनक स्रोत है।
12.2	विद्युत एक बहुत महंगा ईंधन है।
12.3	विद्युत से परिवार की जीवन शैली बेहतर हो जाएगी।
12.4	विद्युत परिवार के लिए ऊर्जा का अत्याधिक विश्वसनीय स्रोत है।
12.5	विद्युत मेरे परिवार के लिए ऊर्जा का प्रदूषण रहित स्रोत है।
12.6	विद्युत मेरे परिवार के लिए अधिक प्रकाश प्रदान कर सकती है।
12.7	विद्युत अन्य ईंधनों से सस्ता है।
12.8	विद्युत समृद्ध परिवार के लिए ऊर्जा है।
12.9	विद्युत खतरे से युक्त है।
12.10	विद्युत भावी प्रगति का माध्यम है।
12.11	विद्युत का प्रयोग मितव्ययिता से करना चाहिए।
12.12	विद्युत का प्रयोग करना आसान है।
12.13	विद्युत सुख – सुविधा है।
12.14	विद्युत का मूल्य वहन करने योग्य है।
12.15	विद्युत से रात्रि में सुरक्षा बेहतर हो जाती है।
12.16	विद्युत उत्पादनकारी व्यवसाय का मुख्य आधार है।
12.17	विद्युत से मैं व्यवसाय में अधिक कार्य कर पाता हूं।
12.18	परिवार प्रकाश के लिए प्रयुक्त हो रही ऊर्जा के इस स्रोत से काफ़ी खुश हैं।

[k.M 13 & ifjokj fo|r dk i;kx djus dk bPNd gA

13.1	क्या परिवार विद्युत की सुविधा प्राप्त करना चाहता है, या क्या परिवार वर्तमान ऊर्जा स्रोतों को रखना जारी रहना बेहतर समझता है? (कुकिंग के लिए ऊर्जा को छोड़कर) (1) – विद्युत (यदि उत्तर ''विद्युत'' है तो प्रश्न 13.3 देखें) (0) – वर्तमान ऊर्जा स्रोतों को बेहतर समझता है।
13.2	कारण बताएं कि वर्तमान ऊर्जा स्रोतों को बेहतर क्यों माना गया है? (1) – विद्युत कनेक्शन तथा प्रयोग संबंधी लागत को वहन नहीं कर सकते। (2) – वैद्युत उपकरण क्रय करने के खर्च को वहन नहीं कर सकते। (3) – कोई प्रयोग नहीं जानते (4) – वर्तमान ऊर्जा स्रोतों से संतुष्ट हैं (5) – कोई अन्य, उल्लेख करें.....।
13.3 13.3 क 13.3 ख 13.3 ग 13.3 घ	निम्नलिखित सेवाओं में से परिवार कौन सी सेवा पहले, दूसरे तथा तीसरे नम्बर पर प्राप्त करना चाहेगा (रैंक संख्या लिखें, जिसे आप पहले, दूसरे व तीसरे नम्बर पर लेना चाहेंगे (1, 2, 3)) jid – साफ पानी – विद्युत – सिंचाई – सड़कें

परिशिष्ट–II

xkeh.kk d fy, Hkxrku dju d bPNd lc/kh i'ukoyh

विद्युत सेवा की खपत तथा उपभोक्ता की भुगतान क्षमता संबंधी प्रश्नावली

(1) गांव तथा ब्लॉक
(2) जिला
(3) उपभोक्ता का नाम
(4) घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या
(5) घर में बिजली के प्वाइंटों की संख्या
(6) प्रतिदिन सांयकाल को बिजली के ऑन किए जाने वाले प्वाइंटों की संख्या
(7) उस व्यक्ति की हैसियत/स्थिति, जिससे प्रश्न पूछा गया है। जिसका सर्वेक्षण किया गया है।
(8) उस व्यक्ति के लिए प्रमुख कार्य/व्यवसाय
1– कृषि
2– शिल्पकला
3– कुटीर उद्योग
4–वाणिज्य
5–पशुपालन
6–व्यावसायिक
7–कोई अन्य, उल्लेख करें.................................।

11. निर्माण का प्रकार

1.	आवास	मिट्टी का	कठोर	लकड़ी का	धातु की छत	फूस की छत	अन्य, उल्लेख करें
2.	स्वास्थ्य केन्द्र						
3.	स्कूल						
4.	धार्मिक स्थल						

12. वर्तमान प्रकाश – व्यवस्था

	प्लग	पेट्रोल पम्प	दाब लैम्प	स्टोर्म लैम्प	जलाने की लकड़ी	अन्य
मात्रा						
यूनिट मूल्य						
मासिक लागत						
कुल व्यय						

13. उपस्कर

	टार्च लाइट	टेलीविज़न	इलेक्ट्रिक लैम्प	अन्य
मात्रा				
यूनिट मूल्य				
कुल				
टेंशन				
मासिक लागत				

14. क्या उपभोक्ता/ग्राहक के पास समूह जैनरेटिंग सेट है?
हाँ नहीं
यदि हाँ तो कौन सा
क– विद्युत .....के वी ए
ख– प्रयुक्त किया जाने वाला ईंधन.....
ग– ईंधन का क्रय मूल्य.....प्रति लीटर
घ– ईंधन/अन्य का मासिक व्यय.....
ड.– प्रतिदिन/अन्य प्रयोग के घंटे.....
च– एक माह में प्रयोग के दिवसों की औसत सं0.....
छ– प्रयोग का प्रकार.....लाइट.....अन्य, उल्लेख करें.....ज– समूह जेनेरेटिंग सेट का लागत मूल्य
15. क्या आप वैद्युत सेवाओं के इच्छुक हैं हाँ.....नहीं.....
16. आप क्या सोचते हैं कि आप की निवेश के रूप में कितनी भागीदारी अंशदान हो सकती है/हो सकता है?

17. वैद्युत सेवा के लिए प्रति माह आप कितनी राशि अदा कर सकते हैं?

18. अभीष्ट फ्रैंचाइजी का निष्कर्ष

1.	वैद्युत आपूर्ति/सेवा के लिए मासिक अदायगी की अनुमानित क्षमता
2.	प्रकाश के लिए निश्चित मासिक व्यय की गणना करें।
3.	परिवार का मासिक व्यय
4.	आय का स्रोत
5.	आय की आवृत्ति (क) सप्ताह (ख) माह
6.	उपभोक्ता की प्रतिक्रिया
7.	मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य पेट्रोल डीजल
8.	परिवार के लिए मासिक व्यय में वृद्धि/कमी की गणना करें
9.	अब प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली रोशनी के औसतन घंटों की संख्या

.....द्वारा तैयार किया गया हस्ताक्षर

व्यवसाय योजना का निर्माण – नमूना
फ्रैंचाइजी का नामः –
फ्रैंचाइजी का क्षेत्रः –
वर्षः –
चरण –1
उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित (कनेक्टिड लोड) लोड, साथ – साथ की गई अधिकतम मांग, प्रयोग के घंटे तथा क्षेत्र में ऊर्जा खपत का श्रेणी–वार निर्धारण
भावी फ्रैंचाइजी द्वारा उपरोक्त पैरामीटरों (श्रेणी – वार) का निर्धारण उसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण तथा प्रचलित प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। फ्रैंचाइजी को उस क्षेत्र की संभाव्यता पर विचार करते हुए वर्षों के दौरान इन पैरामीटरों की वृद्धि/ कमी का निर्धारण भी करना होगा।

क्र. सं.	श्रेणी	कनेक्शनों की सं.	प्रति उपभोक्ता जोड़ा गया लोड	कुल जोड़ा गया लोड	साथ – साथ कीगई अधिकतम मांग	प्रयोग के घंटे	प्रति माह ऊर्जा का अपेक्षित विक्रय	प्रति माह प्रति उपभोक्ता ऊर्जा का विक्रय	प्रति वर्ष ऊर्जा का कुल विक्रय
			(के डब्ल्यू)	(के डब्ल्यू)	(के डब्ल्यू)		(के डब्ल्यू एच)	(के डब्ल्यू एच)	(के डब्ल्यू एच)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	घरेलू	100	0.5	50	42	8	10000	100	120000
2	वाणिज्यिक	10	0.5	5	4	8	1000	100	12000
3	कृषि	20	3.66	73	61	8	14640	732	175680
4	लघु उद्योग	5	5	25	21	8	5000	1000	60000
5	अन्य (उल्लेख करें)								
	कुल	135		153	128		30640	227	367680

चरण – 2 परिशिष्ट–III

विक्रय, बिलिंग, राजस्व वसूली तथा इनपुट ऊर्जा का श्रेणी–वार निर्धारण

उपरोक्त पैरामीटरों का (श्रेणी – वार) निर्धारण उपरोक्त चरण – 1 तथा बिलिंग क्षमता और एकत्र करने की क्षमता पर आधारित होगा। फ्रैंचाइजी वर्षों के दौरान इन पैरामीटरों की वृद्धि/कमी का निर्धारण भी करना होगा।

क्र. सं.	श्रेणी	प्रति वर्ष ऊर्जा का कुल विक्रय (1)का कॉलम 10	बिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए बेची गई ऊर्जा की बिलिंग 90% की दर पर	शुल्क (अंतिम उपभोक्ता के लिए)	प्रति वर्ष सकल राजस्व	वसूली करने की कार्यकुशलता	प्रति वर्ष निवल राजस्व
		(के डब्ल्यू एच)	(के डब्ल्यू एच)	(रु./के डब्ल्यू एच)	(रु.)		(रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	घरेलू	120000	108000	2	216000	90%	194400
2	वाणिज्यिक	12000	10800	3	32400	90%	29160
3	कृषि	175680	158112	1	158112	90%	142301
4	लघु उद्योग	60000	54000	3.5	189000	90%	170100
5	अन्य उल्लेख करें						
	कुल	367680	330912		595512		535961

क–कुल टी एण्ड डी हानि (ऊर्जा के विक्रय के % के रूप में (ऊपर कॉलम 3) – 10%)
ख–अपेक्षित ऊर्जा इनपुट = ऊर्जा का विक्रय + टी एण्ड डी हानि (के डब्ल्यू एच) = 367680+36776.8 = 404448

संगठनात्मक ढांचा तथा ओ एण्ड एम की लागत का निर्धारण

गांव के स्तर तक कार्यों के लिए जनशक्ति की आवश्यकता पर आधारित, जिसमें फ्रैंचाइजी द्वारा अपनाए गए मॉडल के आधार पर प्रशासन और स्थापना, पूरे वितरण नेटवर्क का संगठन और प्रबन्धन (ओ एण्ड एम), लेखा तथा लेखा – परीक्षा, सभी वाणिज्यिक कार्य जैसे बिलिंग, राजस्व वसूल करना आदि शामिल है।

ओ एण्ड एम की प्रतिमाह लागत	5,000 रुपए
ओ एण्ड एम की प्रतिवर्ष लागत	60,000 रुपए

अपेक्षित पूंजीगत निवेश, कार्यशील पूंजी, निवेश पर आय की प्रत्याशित दर/कार्यशील पूंजी = दो माह के लिए ओ एण्ड एम की लागत 10,000 रुपए

पूंजीगत निवेश (संगठन को दी जाने वाली प्रतिभूति आदि) = प्रतिमाह प्रत्याशित राजस्व वसूली = .44663 रु.

पूंजीगत निवेश और कार्यशील पूंजी की लागत = पूंजीगत निवेश तथा अपेक्षित कार्यशील पूंजी पर 9 % की दर से ब्याज = 4920 रु.

प्रतिलाभ की दर = 10 %

चरण – 5

दीर्घकालीन प्रचालन के लिए बी एस टी का परिकलन

1. – फ्रैंचाइजी द्वारा निवल राजस्व वसूली	535961
2. – कुल व्यय	
ओ एण्ड एम की लागत	60000
पूंजीगत निवेश और कार्यशील पूंजी की लागत	4920
3 – निवेश पर प्रत्याशित आय 10 % की दर से	4466
4. – व्यय तथा आय की कटौती के बाद निवल उपलब्ध (1–2–3) राजस्व	466575
5. – कुल अनुमानित ऊर्जा इनपुट	404448
6. – अनुमानित थोक आपूर्ति शुल्क (बी एस टी) = (क्र. सं. 4 के अनुसार निवल उपलब्ध राजस्व/ क्र. सं. 5 के अनुसार ऊर्जा इनपुट)	1.15

परिशिष्ट – IV

फ्रैंचाइजी करार के प्रारूप का फार्मेट

यह करार तारीख.....2006 को .....के, प्रथम पक्ष के पक्षकार के रूप में, जिसका पंजीकृत कार्यालय..... ...में है (जिसे इसमें इसके आगे संगठन (यूटिलिटी) कहा गया है, जिसमें उसके संदर्भ अथवा अर्थ से असंगत न होने पर उसके उत्तराधिकारी तथा स्वीकृत समनुदेशिती शामिल हैं),

तथा

.....के बीच द्वितीय पक्ष के पक्षकार के रूप में, जिसका पंजीकृत कार्यालय.....में है (जिसे इसमें इसके आगे संगठन(यूटिलिटी) कहा गया है, जिसमें उसके संदर्भ अथवा अर्थ से असंगत न होने पर उसके उत्तराधिकारी तथा स्वीकृत समनुदेशिती शामिल हैं), किया गया है।

प्रथम पक्ष को यह स्वीकार है कि दूसरा पक्ष विद्युत का क्रय कर सकता है तथा अन्तिम ग्राहक को बेच सकता है तथा प्रथम पक्ष के क्षेत्राधिकार के अन्दर निर्धारित क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणाली का प्रचालन तथा रखरखाव भी कर सकता है।

तथा

द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत है।

अतः पूर्वोक्त आधार – वाक्य तथा इसमें यहां निर्धारित आपसी प्रसंविदाओं और शर्तों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित पर सहमत होते हैं:

1 . शब्दों की परिभाषा

इस फ्रैंचाइजी करार, तथा इसमें संलग्न सभी प्रदेशों के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित शब्दों, वाक्यांशों तथा उनकी व्युत्पत्तियों का, जब तक सन्दर्भ में स्पष्टतः उनके भिन्न निर्वचन का अधिदेश न हो, निम्नलिखित अर्थ होगा। जहां सन्दर्भ में ऐसा इंगित है तो वर्तमान काल में भविष्य काल का अर्थ निहित होगा, बहुवचन शब्दों में एक वचन शब्द शामिल होंगे तथा एक वचन शब्दों में बहुवचन शब्द शामिल होंगे। ''होगा'' शब्द सदैव आदेशात्मक होता है मात्र निदेशात्मक नहीं। ये परिभाषाएं शब्द के किसी भी रूप में लिखे जाने के बावजूद लागू होंगी।

0.0 ''वार्षिक लेखों'' का अर्थ संगठन द्वारा निर्धारित की गई रीति के अनुसार फ्रैंचाइजी द्वारा तैयार किए गए फ्रैंचाइजी के व्यवसाय के लेखा हैं।

1.2 'थोक आपूर्ति' का अर्थ विद्युत की आपूर्ति से है जिसका फ्रैंचाइजी द्वारा पुनः विक्रय किया जाना है।

1.3 ''उपभोक्ता'' का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे अपने प्रयोग के लिए फ्रैंचाइजी या राज्य सरकार/राज्य संगठन या किसी अन्य उस व्यक्ति द्वारा बिजली आपूर्ति की गई है, जो तत्समय के लिए जनता को विद्युत आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगा है तथा इसमें वह व्यक्ति शामिल है जिसके परिसर को विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ फ़िलहाल जोड़ा गया है।

1.4 ''शिकायत'' का अर्थ कोई लिखित या इलैक्ट्रॉनिकी पत्राचार है जिसमें फ्रैंचाइजी के उत्पादों, सेवाओं या ग्राहक सेवा के प्रति असन्तोष व्यक्त किया गया है।

1.5 ''वितरण'' का अर्थ वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति तथा स्थानांतरण है।

1.6 ''वितरण प्रणाली'' का अर्थ तारों तथा संबद्ध सुविधाओं की ऐसी प्रणाली है, जिससे उपभोक्ता की स्थापना के कनेक्शन प्वाइंट तक कनेक्शन की सुविधा होती है।

1.7 ''वितरण प्रणाली प्रचालन संबंधी मानक'' का अर्थ, फ्रैंचाइजी को संगठन द्वारा फ्रैंचाइजी प्रचालन से संबंधित उसकी वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध कराए गए मानक हैं।

1.8 ''प्रलेख'' या ''अभिलेख'' का अर्थ लिखित या ग्राफिक सामग्री, जो प्रस्तुत की गई हो, या पुनः प्रस्तुत की गई हो, अथवा कोई अन्य वास्तविक स्थाई रिकॉर्ड है, जिसमें फ्रैंचाइजी द्वारा उसके सामान्य कार्य के दौरान कम्प्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से रखा गया रिकॉर्ड शामिल है।

1.9 ''विद्युत पहुंच'' का अर्थ संगठन द्वारा सृजित की गई पर्याप्त बुनियादी संरचना प्रदान करने से है, जिससे कि उपभोक्ताओं को मांग करने पर बिजली के कनेक्शन दिए जा सकें। यह कनेक्शन

उपभोक्ताओं द्वारा फ्रैंचाइजी द्वारा निर्धारित कनेक्शन प्रभारों का भुगतान करने पर दिए जाएंगे।

1.10 ''फ्रैंचाइजी'' का अर्थ संगठन द्वारा, फ्रैंचाइजी क्षेत्र के अन्दर उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए इस करार में शामिल किए गए फ्रैंचाइजी क्षेत्र के अन्दर वितरण प्रणाली के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए प्रदान किए गए अधिकार हैं।

1.11 ''फ्रैंचाइजी करार'' या 'करार' का अर्थ यह संविदा है तथा उसके कोई संशोधन, प्रदर्श या परिशिष्ट हैं।

1.12 'फ्रैंचाइज क्षेत्र' का अर्थ इस करार में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र है, जिसके अन्दर इस करार के अन्तर्गत संगठन द्वारा फ्रैंचाइजी को कोई भी कार्य करने की अनुमति दी गई है। फ्रैंचाइजी क्षेत्र की सीमा ''फ्रैंचाइजी विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत'' के संगत प्रावधानों के अनुसार सौंपी जाएगी।

1.13 ''फ्रैंचाइजी'' का अर्थ फ्रैंचाइजी क्षेत्र के अन्दर फ्रैंचाइजी को सौंपे गए कार्य करने के लिए संगठन द्वारा प्राधिकृत एक सत्ता (निकाय) है।

1.14 ''फ्रैंचाइजी व्यवसाय'' का अर्थ फ्रैंचाइजी के क्षेत्र में या फ्रैंचाइजी क्षेत्र के अलावा किसी क्षेत्र में उपभोक्ता की किसी श्रेणी को यदि संगठन द्वारा विशेष या सामान्य अनुमति द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, विद्युत के वितरण के लिए, फ्रैंचाइजी के प्राधिकृत व्यवसाय से है।

1.15 ''सकल राजस्व'' का अर्थ फ्रैंचाइजी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए राजस्व से है।

1.16 ''विद्युत अधिनियम, 2003'' का अर्थ इसके उपबन्धों तथा संशोधनों, यदि कोई हैं तो, तथा/अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उसके अन्तर्गत जारी नियमों, मार्गदर्शी सिद्धान्तों, परिपत्रों, अनुदेशों के लागू किए जाने से है।

1.17 ''प्रमुख घटना'' का अर्थ फ्रैंचाइजी क्षेत्र में विद्युत के वितरण तथा खुदरा आपूर्ति से संबंधित कोई ऐसी घटना है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत आपूर्ति में बहुत अधिक बाधा आ जाती है, उपस्कर की बहुत अधिक क्षति हो जाती है या किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को गम्भीर चोट लग जाती है अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है तथा इसमें अन्य कोई ऐसी घटना भी शामिल है जिसे संगठन स्पष्टतः प्रमुख घटना के रूप में घोषित करता है।

1.18 ''सामान्य प्रचालन संबंधी स्थितियों'' से आशय सेवा की ऐसी स्थितियां हैं जो फ्रैंचाइजी के नियंत्रण में हैं। वे स्थितियां जो फ्रैंचाइजी के नियंत्रणाधीन नहीं हैं। परन्तु इन स्थितियों तक ही सीमित नहीं है, उनमें प्राकृति आपदाएं, नागरिक विक्षोभ, विद्युत आपूर्ति न होना टेलीफोन नेटवर्क में खराबी तथा धारा 11.3 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार मौसम की अत्याधिक अथवा असामान्य खराबी शामिल हैं।

1.19 ''सार्वजनिक मार्गाधिकार'' का अर्थ तल, तल से ऊपर हवाई क्षेत्र तथा किसी सार्वजनिक गली, राजमार्ग, लेन, रास्ते, विधि, पटरी, पुल, सुरंग, पार्कवे, जलमार्ग, सुविधा या इसी प्रकार की फ्रैंचाइजी क्षेत्र में सम्पत्ति के नीचे का क्षेत्र जो उन प्रयोजनों के अनुरूप हैं, जिनके लिए वह समर्पित था और जिसका प्रणाली के संस्थापन और अनुरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें ''सार्वजनिक मार्गाधिकार'' का कोई भी सन्दर्भ, संगठन द्वारा प्रतिवेदन के रूप में या इस बात की गारंटी के रूप में नहीं माना जा सकता कि ऐसी सम्पत्ति के प्रयोग का हित या उसके नियन्त्रण का अन्य अधिकार ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग की अनुमति के लिए पर्याप्त है, तथा फ्रैंचाइजी को केवल उन अधिकारों का लाभ लेने के लिए, जो संगठन में तथा जिसे संगठन द्वारा दिए जाने का अधिकार तथा शक्तियां समुचित रूप से प्राप्त हों।

1.20 ''प्रणाली की खराबी'' का अर्थ विद्युत आपूर्ति में बाधा है।

2 फ्रैंचाइजी देना

2.1 फ्रैंचाइजी देना

इस करार तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की शर्तों के अधीन, संगठन राज्य सरकार (राज्य सरकार का नाम) की सहमति से एतद् द्वारा इस बात पर सहमत है कि फ्रैंचाइजी विद्युत का क्रय कर सकता है तथा अंतिम उपभोक्ता को बेच सकता है और विद्युत के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने के प्रयोजनार्थ फ्रैंचाइज क्षेत्र के अन्दर विद्युत वितरण प्रणाली का प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकता है। फ्रैंचाइज क्षेत्र के अन्दर उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति के लिए, यह फ्रैंचाइज अवसंरचना का स्वामित्व प्रदान नहीं करेगा, जो संगठन द्वारा भावी फ्रैंचाइज व्यवसाय करने को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किए गए हैं। फ्रैंचाइजी एक एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा किसी भी स्थिति में 'लाइसेंसी' के रूप में नहीं माना जाएगा।

1-1 cfu;knh lajpuk dk i;kx rFkk mldk LokfeRo

फ्रैंचाइजी को राज्य सरकार तथा संगठन की अनुमति से वांछित प्रचालन के लिए उसे सौंपे गए भौगोलिक क्षेत्र में संगठन की विद्यमान विद्युत बुनियादी का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वह उसके प्रचालन के दौरान अपने संसाधनों से सृजित न की गई फ्रैंचाइजी क्षेत्र के अन्दर विद्युत बुनियादी संरचना का स्वामी नहीं होगा।

2.3 फ्रैंचाइजी की अवधि

इस फ्रैंचाइज के तथा इसके सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताओं तथा प्रतिबन्धों की अवधि बशर्ते कि इसमें दिए गए

अनुसार फ्रैंचाइज को पहले रद्द न किया गया हो या उसकी अवधि को कम न किया गया हो, इस फ्रैंचाइज के लागू होने की तारीख से तीन (3) वर्ष की होगी।

2.4 फ्रैंचाइजी का नवीकरण

फ्रैंचाइजी के अनुरोध पर, संगठन ऐसी शर्तों पर, जिन्हें संगठन द्वारा उपयुक्त समझा जाए, ऐसी आगामी अवधि/अवधियों के लिए नवीकरण करने पर विचार कर सकता है बशर्ते कि फ्रैंचाइजी द्वारा फ्रैंचाइज की सम्पत्ति से 6 माह पूर्व उसके नवीकरण के लिए औपचारिक रूप से लिखित में आवेदन दिया जाए।

संगठन अपने विवेक से ऐसा आवेदन करने में किसी प्रकार से हुए विलम्ब को माफ कर सकता है।

2.5 लागू होने की तारीख

इस फ्रैंचाइज की लागू होने की तारीख.....(तारीख बताएं) होगी, जो संगठन द्वारा अनुमोदन (राज्य सरकार की सहमति से) तथा फ्रैंचाइजी द्वारा उसकी स्वीकृति के अधीन होगी बशर्ते कि यदि फ्रैंचाइजी इस संबंध में संगठन द्वारा लिखित अनुमोदन की सूचना दिए जाने के बाद तीस (30) दिन के अन्दर लिखित में फ्रैंचाइज को स्वीकार नहीं करता है तो उसे रद्द माना जाएगा।

2.6 संगठन से विद्युत का क्रय

यदि, फ्रैंचाइजी के प्रचालन में फ्रैंचाइजी द्वारा सगठन से विद्युत का क्रय शामिल है तो विद्युत का मूल्य (बी एस टी – इस विषय संबंधी 18 मार्च, 2005 के का ज्ञा सं. 44/19/2004 – डी (आर ई) के पैरा 9 के अन्तर्गत उपबन्धों, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना – विद्युत मंत्रालय (एम ओ पी), भारत सरकार द्वारा जारी ग्रामीण विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाएं तथा आवास विद्युतीकरण योजना के अनुसार) तथा उसकी अदायगी के लिए कार्य पद्धति को भी, जैसा कि बी एस टी के लिए लागू है, एक अलग अनुपूरक करार में शामिल किया जाएगा तथा यह अलग करार इस मूल करार का अभिन्न भाग होगा बशर्ते कि अलग करार में अन्यथा न दर्शाया गया हो।

2.7 स्वीकृति का प्रभाव

इस फ्रैंचाइजी को स्वीकार करके तथा इस फ्रैंचाइजी करार का निष्पादन करने के बाद फ्रैंचाइजी :

1. स्वीकार करता है तथा सहमत है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत उपबन्धों के अधीन इस करार के सभी लागू उपबन्धों का पालन किया जाएगा।
2. सहमत है कि फ्रैंचाइज क्षेत्र में प्रभावी विद्युत आपूर्ति पद्धति के हित में संगठन द्वारा हस्तक्षेप का इसके द्वारा विरोध नहीं किया

जाएगा।

2.8 निदेश

फ्रैंचाइज, संगठन द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों, आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन करेगा तथा हमेशा इस करार की शर्तों के अनुसार कार्य करेगा केवल उन मामलों को छोड़कर, जिनमें फ्रैंचाइजी ने उसमें किसी परिवर्तन के लिए संगठन से पूर्व लिखित अनुमोदन ले लिया हो।

1.8 यह दोनों पक्षों का दृढ़ संकल्प है कि प्रत्येक पक्ष फ्रैंचाइजी की पूरी अवधि के लिए इस फ्रैंचाइजी करार की सभी बाध्यताओं के अधीन तथा इसकी समाप्ति के बाद सतत प्रभाव रखने वाले किन्ही प्रावधानों की सीमा तक सभी अधिकारों का प्रयोग करेगी।

3. <u>फ्रैंचाइजी के कार्य–कलाप</u>

2.0 फ्रैंचाइजी, संगठन के सामान्य या विशेष अनुमोदन के बिनाः

(क) इस करार के अनुसार तथा संगठन द्वारा अनुमोदित किए गए शुल्क तथा शर्तों पर के मामले को छोड़कर वितरण के लिए विद्युत का क्रय या अन्यथा प्राप्ति नहीं करेगा, या

(ख) किसी अन्य पूर्तिकर्ता के संगठन को क्रय करके, ग्रहण करके या अन्यथा प्राप्त करने के लिए कोई संव्यवहार नही करेगा, या

(ग) किसी अन्य सत्ता से आमेलित नहीं होगा, या

(घ) संगठन की बुनियादी सुविधाओं, परिसम्पत्तियों को पूर्णतः या उसके किसी भाग को, विक्रय पट्टे, विनिमय द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं करेगा, या

(ड.) फ्रैंचाइजी के किसी व्यवसाय के किसी भाग को ग्रहण करने के लिए (को–आप्रेटिव के अपवाद सहित) किसी अन्य व्यक्ति से कोई करार या समझौता नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस प्रकार का कोई समझौता या व्यवसाय इस करार की शर्तों के अन्तर्गत किया गया हो जिसमें ऐसी अन्य शर्तें भी शामिल हैं जो संगठन द्वारा अधिरोपित की गई हों।

इसके अलावा यह भी कि फ्रैंचाइजी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा उचित निष्पादन किए जाने के लिए समग्र उत्तरदायित्व का वहन करना जारी रखेगा तथा ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा इस करार की किसी शर्त का उल्लंघन फ्रैंचाइजी द्वारा किया गया उल्लंघन माना जाएगा।

3.2 विद्युत अधिनियम, 2003 के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत, फ्रैंचाइजी संगठन की सहमति से फ्रैंचाइज क्षेत्र के अन्दर गुणवत्तापूर्ण तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के सुविधाजनक वितरण के लिए विद्युत उत्पादन कर सकता है।

3.3 फ्रैंचाइजी संगठन/राज्य सरकार की पूर्व सहमति से फ्रैंचाइजी क्षेत्र में कोई अन्य व्यवसाय कर सकता है बशर्ते कि उसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सुख–सुविधाएं प्रदान करना हो जैसे केबल टी–वी, इन्टरनेट आदि जो कि अनुमोदन/लाइसेंस के अधीन होगा जो लागू नियमों के अधीन संगत प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो, ताकि ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं वहन करने योग्य बनाने के लिए ऐसी सेवाओं की लागत में पर्याप्त कमी लाने वाले आर्थिक कार्यों के लिए अवसर तैयार किए जा सकें। बशर्ते कि :

1. फ्रैंचाइज वाले व्यवसाय तथा उसके फ्रैंचाइजी द्वारा निष्पादन पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो :
2. फ्रैंचाइजी द्वारा किए जाने वाले ऐसे प्रत्येक कारोबार का अलग लेखा–जोखा रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि फ्रैंचाइजी वाला व्यवसाय किए जाने वाले उस व्यवसाय को किसी भी भांति आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेगा और न ही उस व्यवसाय को सहायता करने के लिए इसकी परिसम्पत्तियों को ऋणग्रस्त करेगा :
3. फ्रैंचाइजी इस संबंध में संगठन द्वारा दिए गए दिशा निर्देर्शों का सदैव अनुपालन करेगा।

4. <u>तकनीकी शर्तें</u>

4.1 विद्युत अधिप्राप्ति प्रक्रिया

फ्रैंचाइजी हर स्थिति में राज्य सरकार/राज्य विद्युत नियामक आयोग (एस ई आर सी) की सहमति से संगठन द्वारा निर्धारित थोक आपूर्ति शुल्क पर तथा संगठन और फ्रैंचाइजी के बीच आपसी सहमति से निर्धारित किए गए स्थान पर विद्युत ऊर्जा क्रय करेगा।

4.2 <u>लोड संबंधी पूर्वानुमान</u>

फ्रैंचाइजी वार्षिक आधार पर:

(क) आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए आपूर्ति के क्षेत्र में विद्युत की मांग का पूर्वानुमान बताएगा :

(ख) एस ई आर सी द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्वानुमानों को तैयार करेगा और संगठन/एस ई आर सी को प्रस्तुत करेगा तथा फ्रैंचाइज क्षेत्र की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए योजना का सुझाव भी देगा।

4.3 <u>मानकों का अनुपालन करना</u>

(क) फ्रैंचाइजी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित प्रयास करेगा कि फ्रैंचाइज क्षेत्र के सभी उपभोक्ता संबंधित एस ई आर सी द्वारा निर्धारित मानकों में बताए अनुसार

सुरक्षित, कम खर्चीली तथा विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

(ख) फ्रैंचाइजी यह सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली की योजना बनाएगा तथा उसे लागू करेगा कि उपयुक्त गुणवत्ता की पर्याप्त विद्युत की उपलब्धता के अधीन वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं को विद्युत की सुरक्षित, विश्वसनीय तथा कुशल आपूर्ति उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके।

(ग) राज्य सरकार तथा राज्य विद्युत संगठन विद्युत की आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि फ्रैंचाइज क्षेत्र में (तथा उसी संगठन के अधीन भिन्न फ्रैंचाइज क्षेत्रों में भी) तथा संगठन द्वारा स्वयं सेवा प्रदान किए जा रहे क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटों में भेदभाव नहीं करेंगे तथा इसमें भारत सरकार के ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना''.....ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं तथा आवास विद्युतीकरण की स्कीम के संगत उपबन्धों को ध्यान में रखा जाएगा।

4.4 <u>सुरक्षा मानक, वितरण प्रणाली प्रचालन संबंधी मानक, समग्र निष्पादन मानक</u>

(क) फ्रैंचाइजी, सुरक्षा मानकों तथा वितरण प्रणाली प्रचालन मानकों से संबंधित ऐसे संशोधनों सहित जिन्हें संगठन की अनुमति प्राप्त हो, उन्हीं पद्धतियों का पालन करेगा, जिनका पालन संगठन द्वारा किया गया था जब तक कि फ्रैंचाइजी द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा मानकों और वितरण प्रणाली प्रचालन मानकों का संगठन द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता।

(ख) यदि फ्रैंचाइजी संगठन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है तो उस पर लगाई जाने वाली शास्ति तथा की जाने वाली कानूनी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फ्रैंचाइजी द्वारा उस प्रभावित व्यक्ति को उतना मुआवजा अदा किया जाएगा जिसका निर्धारण संगठन द्वारा किया जाएगा लेकिन इससे पहले फ्रैंचाइजी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

(ग) फ्रैंचाइजी प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 3 माह के अन्दर, संगठन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के सन्दर्भ में पिछले वित्त वर्ष के दौरान फ्रैंचाइजी की वितरण प्रणाली के निष्पादन को दर्शाया जाएगा तथा उन मामलों की संख्या को भी दर्शाया जाएगा, जिनमें मुआवजा दिया गया था तथा उस मुआवजे की कुल राशि भी बताई जाएगी। फ्रैंचाइजी, यदि सगठन द्वारा अपेक्षित हो तो संगठन द्वारा अनुमोदित विधि के तहत रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करेगा।

(घ) फ्रैंचाइजी अपने फ्रैंचाइज कारोबार का संचालन ऐसे ढंग से करेगा जिसे वह आपूर्ति सेवाएं प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के कार्यकुशल प्रयोग का संवर्धन करने से संबंधित विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसरण में संगठन द्वारा निर्धारित समग्र कार्यानिष्पादन मानकों को प्राप्त करने के वास्ते सर्वोत्तम समझता है।

4-5 उपभोक्ता सेवाएं

(क) विद्युत आपूर्ति कोड

फ्रैंचाइजी

(i) संगत एस ई आर सी द्वारा अनुमोदित किए गए विद्युत आपूर्ति कोड का अनुपालन करेगा :

(ii) आपूर्ति कोड (तथा आपूर्ति की शर्तों) की जानकारी उपभोक्ताओं को देगा जिसमें उसके यथेष्ट संशोधन तथा उनके निरीक्षण करने के अधिकार या एक प्रति उसके नवीनतम् रूप में प्राप्त करने के अधिकारों की जानकारी शामिल है :

(iii) समय–समय पर संशोधित कोड (तथा आपूर्ति की शर्तों) की एक प्रति सामान्य कार्य समय के दौरान जनता द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगाः तथा

(iv) समय–समय पर संशोधित कोड (तथा आपूर्ति की शर्तों) की एक प्रति निशुल्क प्रत्येक नए उपभोक्ता तथा अन्य किसी व्यक्ति की कीमत अदा करके प्रति लेने का अनुरोध करता है।

(ख) उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया : –

फ्रैंचाइजी, संगठन/एस ई आर सी द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। फ्रैंचाइजीः–

(i) प्रत्येक संगत परिसर पर जनता द्वारा निरीक्षण के लिए समय–समय पर संशोधित शिकायत निवारण प्रक्रिया की एक प्रति, मांगे जाने पर सामान्य कार्य समय के दौरान उपलब्ध कराएगा।

(ii) समय–समय पर संशोधित प्रक्रिया की एक प्रति प्रत्येक नए ग्राहक को निशुल्क तथा किसी अन्य व्यक्ति को जो इसकी दूसरी प्रति निकलवाने की लागत पर प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता है, उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) ग्राहक का सूचना प्राप्त करने का अधिकार

फ्रैंचाइजी, उपभोक्ता के अनुरोध पर, इस सीमा तक जो फ्रैंचाइजी के पास उपलब्ध हो

(i) उसके द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं संबंधी ऐसी सूचना प्रदान करेगा जो ग्राहक को उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिसमें प्रभारों संबंधी सूचना शामिल है।

(ii) फ्रैंचाइजी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में प्रदान की गई विद्युत सेवा के लिए मीटर रीडिंग संबंधी सूचना उपलब्ध कराएग; तथा

(iii) फ्रैंचाइजी के पास उपभोक्ता के लेखे की स्थिति संबंधी सूचना उपलब्ध कराएगा।

(घ) उपभोक्ता अधिकार भेदभाव निषिद्ध

(i) फ्रैंचाइजी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' के कार्यान्वयन के लिए संगत दिशानिर्देशों के अन्तर्गत किए गए उपबन्धों को छोड़कर फ्रैंचाइजी की भेदभावहीनता संबंधी शर्तों सहित, फ्रैंचाइजी हर समय सभी लागू विधि, नियमों तथा विनिमयों का पालन करेगा।

(ii) सभी फ्रैंचाइजी दरों तथा प्रभारों को प्रकाशित किया जाएगा तथा इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। ऊपर दिए गए को छोड़कर फ्रैंचाइजी समान सेवाओं के लिए सभी उपभोक्ताओं के लिए समान दरें एवं प्रभार लागू करेगा तथा जाति, रंग, धर्म, आयु, लिंग, वैवाहिक आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नही बरतेगा।

4.6 संगठन को सूचना प्रदान करना

(क) फ्रैंचाइजी संगठन को अविलम्ब ऐसी सूचना प्रलेख और ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जो फ्रैंचाइजी के सहमति कारोबार अथवा अन्य किसी कारोबार से संबंधित हो और जिनकी संगठन को अपने प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हो।

(ख) संगठन, किसी भी समय इस करार के जारी रहने के दौरान, किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों को फ्रैंचाइजी के कार्यनिष्पादन, रिकॉर्ड तथा लेखाओं की जांच, सत्यापन तथा लेखा परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, तथा फ्रैंचाइजी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों को सभी प्रकार का सहयोग, सहायता और सुविधाएं, जो भी अपेक्षित हों, उपलब्ध कराएगा।

(ग) फ्रैंचाइजी, संगठन को वितरण प्रणाली के किसी भाग को प्रभावित करने वाली किसी प्रमुख घटना, जो घटित हुई हो, की सूचना अतिशीघ्र लेकिन किसी भी स्थिति में उस घटना की तारीख से 15 दिन या उतनी अवधि के अन्दर जितना संगठन द्वारा बताया गया हो, देगा। फ्रैंचाइजी, संगठन को उन तथ्यों के पूरे ब्यौरे देते हुए एक रिपोर्ट भी देगा जो उस

घटना तथा उसके कारण के संबंध में उसकी जानकारी में आए हों।

(घ) इस संबंध में कि कौन सी घटना प्रमुख घटना है संगठन का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

(ड.) संगठन अपने विवेक से किसी घटना या घटनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिसे फ्रैंचाइजी के व्यय पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाएगा तथा इस व्यय को इस करार की धारा 5 के अनुसार किए गए कुल राजस्व के निर्धारण में व्यय के रूप में शामिल किया जाएगा।

4-7 <u>उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का दायित्व :</u>

इस करार के अन्य उपबन्धों के अधीन, फ्रैंचाइजी के निम्नलिखित दायित्व होंगे :

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अधीन, फ्रैंचाइजी अपने फ्रैंचाइज क्षेत्र के अन्दर किसी परिसर के स्वामी या उसके कब्जाधारी के आपूर्ति संबंधी आवेदन की तारीख से एक माह के अन्दर उस परिसर में विद्युत की आपूर्ति करेगा।

(ii) फ्रैंचाइजी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऊपर उपखंड (i) में निर्दिष्ट परिसर को विद्युत आपूर्ति देने के लिए अपेक्षा अनुसार सहायक सामग्री, विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन उपलब्ध कराए।

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति तब तक फ्रैंचाइजी से विद्युत आपूर्ति की या उसे प्राप्त करना जारी रखने की मांग नही कर सकता जब तक वह फ्रैंचाइजी को वह मूल्य अदा करना स्वीकार नहीं करता जो धारा 1.9 में निर्धारित विद्युत पहुंचने के प्वाइंट के बाद के भाग के लिए संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है लेकिन इसमें गरीबी रेखा से नीचे के आवासों के कनेक्शन शामिल नहीं हैं जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार निशुल्क दिए जाने हैं।

(iii) विद्युत अधिनियम 2003 के उपबन्धों तथा इस करार की धारा 4.5 के अंतर्गत ऐसी शर्तों के रहते जो संगठन द्वारा निर्दिष्ट की गई हो फ्रैंचाइजी किसी भी परिसर में विद्युत आपूर्ति करने से इनकार कर सकता है अथवा उस परिसर की बिजली काट सकता है।

4.8 आपूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति योजना मानकों के प्रति दायित्व

(क) फ्रैंचाइजी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगा कि फ्रैंचाइजी की वितरण प्रणाली से जुड़े सभी उपभोक्ता सुरक्षित, कम खर्चीली, तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं जैसा कि इस करार में उल्लिखित निष्पादन मानकों, उपभोक्ता अधिकार विवरण तथा शिकायत निवारण प्रक्रिया में उपबन्धित हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :–

(i) फ्रैंचाइजी विद्युत विधि के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत कुछ उपभोक्ताओं को उनकी लापरवाही के कारण या फ्रैंचाइजी को उनके द्वारा देय प्रभारों को अदा करने से इनकार करने पर या धारा 4.5 में निहित विनियमों के अनुसार आपूर्ति करना बंद कर देता है, या

(ii) फ्रैंचाइजी, संगठन के निदेशों के अनुसार उपभोक्ताओं को आपूर्ति विनियमित करता है।

(ख) फ्रैंचाइजी, इस करार के लागू होने से 120 दिन के अन्दर फ्रैंचाइज क्षेत्र की एक विस्तृत सर्वेक्षण योजना प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित को स्पष्टतः दर्शाया जाएगा :–

(i) विद्युतीकृत क्षेत्र जिसमें सभी विद्युतीकृत गांवों को उनके वास–स्थानों/हैमलेटों सहित

(ii) अंशतः विद्युती कृत क्षेत्र जिसमें सभी विद्युतीकृत तथा गैर–विद्युतीकृत गांवों को उनके वास–स्थलों/हैमलेटों सहित

(iii) गैर विद्युतीकृत क्षेत्र जिसमें सभी गैर–विद्युतीकृत गांवों को उनके वास–स्थानों/हैमलेटों सहित

(ग) इस संबंध में ऐसी किसी सूचना के बारे में, जो संगठन द्वारा इस करार की धारा 12 के तहत प्रस्तुत की गई सूचना से भिन्न हो फ्रैंचाइजी द्वारा सर्वेक्षण योजना की प्रस्तुति के बाद 15 दिन के भीतर बताया जाएगा।

5. टैरिफ तथा प्रत्याशित राजस्व वसूली परिकलन

5.1 टैरिफ

फ्रैंचाइजी, फ्रैंचाइज क्षेत्र के उपभोक्ताओं को स्वीकार्य तथा फ्रैंचाइजी दिशानिर्देशों में वर्णित टैरिफ नियतन के लिए विकल्पों तथा/अथवा ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' ''स्कीम'' को लागू करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 18 मार्च, 2005 को का, ज्ञा. सं. 44/19/2004 – डी (आर ई) के समग्र उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकार की सहमति से संगठन द्वारा निर्धारित उपबन्धों के अनुसार टैरिफ निश्चित करेगा।

5.2 प्रत्याशित राजस्व वसूली परिकलन

प्रत्येक वित्त वर्ष में, 30 नवम्बर तक, फ्रैंचाइजी, संगठन को अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी व्यवसाय योजना (फ्रैंचाइजी विकास के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार) प्रस्तुत करेगा।

5.3 <u>आर्थिक सहायता प्रदान करना</u>

फ्रैंचाइजी किसी व्यक्ति को सब्सिडी या आर्थिक सहायता नहीं देगा और ना ही फ्रैंचाइजी के किसी अन्य व्यवसाय से (यदि इस करार के अन्तर्गत अनुमति दी गई है) आर्थिक सहायता लेगा।

5.4 राजस्व वसूली मीटर से छेड़छाड़ आदि के लिए फ्रैंचाइजी की शक्तियां

विद्युत कानूनों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों एवं लागू विनियमों के प्रावधानों के अधीन फ्रैंचाइजी को संगठन की ओर से निम्नलिखित के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्तियां तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे :

(i) विद्युत की आपूर्ति के प्वाइंट पर मीटरिंग
(ii) राजस्व वसूली
(iii) विद्युत या विद्युत उपस्कर अथवा उपकरण की चोरी के अभियोजन
(iv) मीटर से छेड़छाड़ को रोकना
(v) विद्युत के विचलन को रोकना, तथा
(vi) विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग को रोकना
(vii) सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति; तथा
(viii) विद्युत वितरण को प्रभावित करने वाले इसी प्रकार के सभी मामले

6. <u>क्षतिपूर्ति बीमा तथा सुरक्षा</u>

6.1 क्षतिपूर्ति (फ्रैंचाइजी पर लागू है जिसे प्रचालन और अनुरक्षण वितरण प्रणाली का दायित्व सौंपा गया है)

फ्रैंचाइजी, संगठन, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा कर्मचारियों को फ्रैंचाइजी के किसी कार्य या चूक के कारण हुई चोट, क्षति, हानि देयता, किसी घटना के कारण पूर्णतः या अंशतः होने वाली लागत अथवा व्यय के लिए किसी दावे की क्षतिपूर्ति करेगा, उसकी रक्षा करेगा, जिसमें बिना सीमा के कोई निर्माण, खुदाई, प्रचालन, अनुरक्षण, पुनः निर्माण या इस फ्रैंचाइजी के अन्तर्गत किया गया कोई अन्य कार्य शामिल है जो फ्रैंचाइजी या उसके कर्मचारियों द्वारा या

उसके लिए किया गया हो तथा इसमें अपनी प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए फ्रैंचाइजी की किसी प्रकार की लापरवाही अथवा चूक भी शामिल है।

6.2 बीमा

(क) फ्रैंचाइजी, फ्रैंचाइज की अवधि के दौरान अपनी लागत तथा व्यय पर उतने मूल्य का बीमा पूर्णतः लागू और प्रभावी रखेगा जो संगठन द्वारा इस करार की धारा 12.4 (अनुसूची–2) के अनुसार वैद्युत बुनियादी सुविधाओं की मूल्यह्रास, संबंधी लागत पर आधारित होगा।

(ख) इस बीमे को संगठन को (30) तीस दिन के पूर्व लिखित नोटिस दिए बिना रद्द नहीं किया जा सकेगा। यदि बीमा रद्द किया जाता है या उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है जिससे इस फ्रैंचाइज की शर्त के अधीन इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं होता है,तो फ्रैंचाइजी एक प्रतिस्थापी पॉलिसी उपलब्ध कराएगा। फ्रैंचाइजी, इस फ्रैंचाइज की अवधि के दौरान, कम से कम अपेक्षित राशि का सतत निर्बाधित बीमा जारी रखेगा।

6.3 प्रतिभूति

प्रतिभूति की अवधि फ्रैंचाइज की पूरी 'अवधि' के लिए होगी या संगठन की सहमति से वार्षिक होगी जिसमें उसके नवीनीकरण/ पुनः वैधकरण का प्रावधान होगा।

(क) विद्युतीकृत क्षेत्रः फ्रैंचाइजी संगठन को .....रु0 की बैंक गारंटी या किसी अन्य गारंटी के रूप में जो संगठन को कानूनन तथा वित्तीय रूप से दोनों के संयोजन से स्वीकार्य हो, प्रस्तुत करेगा। यह राशि कम से कम एक माह के राजस्व की वसूली के बराबर होनी चाहिए जो संगठन द्वारा एकत्र किए गए फ्रैंचाइज क्षेत्र के विद्यमान सभी उपभोक्ताओं से पिछले 6 माह की एकत्र राशि का औसत होगी।

(ख) गैर–विद्युतीकृत क्षेत्रः प्रतिभूति, फ्रैंचाइजी की व्यवसाय योजना में दर्शाए गए राजस्व आंकड़ों पर आधारित होगी जिसकी गणना फ्रैंचाइजी की तीन वर्ष की फ्रैंचाइज अवधि के लिए मासिक आधार पर की गई है।

(ग) विद्युतीकृत तथा गैर–विद्युतीकृत क्षेत्रों का संयोजनः
प्रतिभूति के प्रयोजनार्थ, कुल राशि की गणना मासिक राजस्व वसूली की समुचित राशि/ऊपर (क) तथा (ख) में दर्शाई गई प्रक्रिया को अपनाकर गणना किए गए प्रक्षेपों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

7 लेखा परीक्षा तथा लेखे

7.1 लेखा परीक्षा

संगठन इस फ्रैंचाइज के अधीन होने वाले मामलों से संबंधित लेखा परीक्षा करने या सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार ऐसी लेखापरीक्षा करने के लिए स्वतन्त्र प्रमाणित लोक लेखापाल रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि लेखा परीक्षा के परिणामों से यह ज्ञात होता है कि फ्रैंचाइजी ने करार के अनुसार संगठन को किसी राशि का कम भुगतान किया गया है तो फ्रैंचाइजी उस कम राशि का भुगतान करेगा तथा इसी प्रकार भुगतान की गई राशि वापस ले सकेगा।

7.2 लेखे

(क) फ्रैंचाइजी का वित्त वर्ष पहली अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक होगा।

(ख) फ्रैंचाइजी, फ्रैंचाइज वाले व्यवसाय के संबंध में :

(i) ऐसे लेखाकरण संबंधी रिकॉर्ड रखेगा जो प्रत्येक ऐसे व्यवसाय के संबंध में रखे जाने अपेक्षित होंगे ताकि फ्रैंचाइज वाले व्यवसाय की राजस्व, लागतों, परिसम्पत्तियों, आरक्षणों तथा प्रावधानों को, या उस व्यवसाय से उपयुक्त रूप से संबंधित रिकॉर्ड को फ्रैंचाइजी की बहियों में फ्रैंचाइजी द्वारा किए जा रहे अन्य किसी व्यवसाय के रिकॉर्ड से अलग से पहचाना जा सकेगा।

(ii) ऐसे लेखाकरण रिकॉर्डों से सुसंगत आधार पर निम्नलिखित विवरण तैयार करेगा तथा संगठन को प्रस्तुत करेगा :

(क) लेखाकरण विवरण

(ख) प्रत्येक वित्त वर्ष के पहले 6 माह के संबंध में अन्तरिम अलेखा परीक्षित लाभ–हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण, निधि प्रवाह विवरण तथा अन्तिम तुलन–पत्र।

(ग) इस धारा के अनुसार तैयार किए गए लेखाकरण विवरण के संबंध में, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जिसमें यह उल्लेख हो कि क्या उनके मतानुसार, ये विवरण इस धारा के अनुसार समुचित प्रकार से तैयार किए गए हैं तथा उनमें राजस्व लागतों, परिसम्पत्तियों, देयताओं, आरक्षणों तथा प्रावधानों को यथार्थ एवं सही रूप से दर्शाया गया है या उस व्यवसाय से उपयुक्त रूप से संबंधित हैं जिससे वे विवरण संबंधित हैं; तथा

(घ) प्रत्येक अन्तरिम अलेखा परीक्षित लाभ–हानि लेखा की एक प्रति जो संबंधित अवधि के अंत के बाद अधिकतम तीन माह तक दी गई हैं, तथा लेखाकरण विवरण तथा लेखापरीक्षा

रिपोर्ट की प्रतियां जो संबंधित वित्त वर्ष के अंत के बाद अधिकतम नौ माह तक दी गई हैं।

(ग) धारा 7.2 (ख) के अन्तर्गत लेखाकरण विवरण सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखाकरण मानकों तथा/अथवा संगठन द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार तैयार किए जाएंगे।

(घ) इस धारा में लागत या देयताएं या फ्रैंचाइज वाले व्यवसाय से संबंधित सन्दर्भों के अर्थ में कराधान तथा पूंजीगत देयताओं को शामिल नहीं माना जाएगा जो कि प्रमुखतः ऐसे व्यवसाय तथा उस पर ब्याज से संबंधित नही होते हैं।

(ड.) संगठन, उस समय से, जिसे वह उपयुक्त समझे, फ्रैंचाइजी को उसके वितरण व्यवसाय को अलग तथा विशेष व्यवसाय मानकर ऊपर धारा 7.2 (क) से 7.2 (घ) तक के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए कह सकता है।

(च) इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद जब भी उचित समझा जाए, संगठन, स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को फ्रैंचाइजी के व्यय पर प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिसे इस करार की धारा 5 के अनुसार किए गए कुल राजस्व के निर्धारण में व्यय के रूप शामिल किया जाएगा।

8. रिकॉर्ड

फ्रैंचाइजी अपने प्रचालनों का रिकॉर्ड रखेगा जो संगठन के लिए प्राप्य तथा सुलभ होंगे। संगठन फ्रैंचाइजी के उन रिकॉर्डों की जांच कर सकता है जिनका निरीक्षण करना वह समुचित रूप से आवश्यक समझता है।

9. अनुपालन न करने पर किए जाने वाले उपचार

9.1 <u>समापन</u>

(क) फ्रैंचाइजी द्वारा इस फ्रैंचाइज का महत्वपूर्ण उल्लंघन किए जाने पर, संगठन, बिना सीमा के, सभी अधिकारों तथा उपायों को प्रयोग में लाएगा जिनकी व्यवस्था इसमें की गई है या अन्यथा विधि के अन्तर्गत उपलब्ध हैं जिसमें फ्रैंचाइज की समाप्ति शामिल है। बिना सीमा के निम्नलिखित को फ्रैंचाइज का वास्तविक उल्लंघन माना जाएगाः

(i) फ्रैंचाइजी द्वारा संगठन को देय किसी अपेक्षित राशि को अदा न करने में विफल होना अथवा भुगतान करने से इन्कार करना।

(ii) फ्रैंचाइजी के इस करार के अन्तर्गत अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराने में विफलता। इस प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) धारा 6 के तहत की गई अपेक्षा के अनुसार संगठन की क्षतिपूर्ति करने अथवा उसे नुकसान न होने देने में विफलता

(ख) यदि संगठन पूर्ववर्ती उपधारा के अनुसार इस फ्रैंचाइज को समाप्त करने की मंशा रखता है, तो संगठन युक्तियुक्त विशेष कारण सहित उल्लंघन के स्वरूप की पहचान करते हुए तथा फ्रैंचाइज को समाप्त करने का संगठन का आशय फ्रैंचाइजी को सूचित करते हुए उपाय स्वरूप एक लिखित नोटिस देगा।

(ग) इस फ्रैंचाइज की कोई भी समाप्ति, संगठन द्वारा जारी एक लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; बशर्ते कि ऐसा कदम उठाने से पूर्व संगठन तथा राज्य सरकार द्वारा फ्रैंचाइजी को ऐसी कार्रवाई से संबंधित अपना पक्ष रखने का एक अवसर अवश्य दिया जाएगा।

10. <u>मार्गाधिकार</u>

10.1 <u>संपत्ति का पुनः स्थापन</u>

जब भी फ्रैंचाइजी किसी प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक मार्गाधिकार के तल को अस्त–व्यस्त करता है तो फ्रैंचाइजी उस सार्वजनिक मार्गाधिकार के प्रभावित क्षेत्र या अन्यथा क्षतिग्रस्त क्षेत्र के अन्दर इसके तल को कम से कम उतनी ही या उससे बेहतर स्थिति में जो इस अस्त–व्यस्तता से पूर्व था, पुनः ठीक कराने के लिए उत्तरदायी होगा। पुनः ठीक कराने का कार्य फ्रैंचाइजी की अपनी लागत पर यथासंभव अतिशीघ्र कराया जाएगा।

10.2 <u>अनुरक्षण तथा कारीगरी</u>

(क) फ्रैंचाइजी अपने कार्यों को तथा बुनियादी सुविधाओं के अनुरक्षण कार्य भी यदि यह उसके दायित्वों के अन्तर्गत शामिल हैं इस प्रकार करेगा जिससे कि अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति या संगत सार्वजनिक एजेन्सियों के साथ हस्तक्षेप न हो तथा वह संगठन की प्रक्रियाओं के अनुसार होगा।

(ख) फ्रैंचाइजी अपने कार्यों को इस प्रकार करेगा कि संगठन के अन्दर किसी व्यक्ति को चोट न लगे। विधि के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सुरक्षा पद्धतियों का प्रयोग फ्रैंचाइजी के कार्यों के दौरान किया जाएगा।

11 vU; ikO/kku

11.1 <u>कानूनों का अनुपालन</u>

धारा 2.9 के अधीन, फ्रैंचाइजी सभी लागू केन्द्रीय/राज्य कानूनों का अनुपालन करेगा तथा संगठन के विधिसम्मत

प्राधिकार के अनुसरण में अपनाए गए या स्थापित किए गए नियमों तथा विनियमों का पालन करेगा।

11.2 विवाद का समाधान

(क) फ्रैंचाइजी तथा संगठन के बीच इस करार से संबंधित या करार के कारण हुए किसी विवाद को सर्वप्रथम आपसी बातचीत के द्वारा निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

(ख) इस प्रकार के विवाद के तीस दिन के अन्दर आपसी बातचीत द्वारा फ्रैंचाइजी तथा संगठन के बीच मतभेद या विवाद का निपटारा न किए जाने की स्थिति में मामले को वैयक्तिक रूप से (या संयुक्त रूप से) राज्य सरकार को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

(ग) फ्रैंचाइजी तथा संगठन ऐसे विवाद से संबंधित किसी निर्णय को अविलम्ब लागू करने का वचन देंगे।

11.3 अपरिहार्य घटना

कोई भी पक्ष इसमें नीचे दिए गए अनुसार अपने दायित्वों के निष्पादन में किसी विलम्ब या असमर्थता के कारण उल्लंघन के लिए (इस करार के अन्तर्गत अपरिहार्य घटना के घटित होने से पूर्व देय राशि अदा करने के लिए दायित्वों को छोड़कर) या ऐसे विलम्ब या असमर्थता का अनुभव करने वाली पार्टी के उपयुक्त नियन्त्रण से बाहर किसी घटना या परिस्थिति (अपरिहार्य घटना) के कारण निर्धारित तारीखों तक कार्य पूरा न करने के लिए जिसमें निम्नलिखित का घटित होना शामिल हो, उत्तरदायी या दायी नहीं होगा या समझा जाएगा।

(क) दैवीसंकट

(ख) बवंडर, बाढ़, बिजली, चक्रवात, तूफान, सूखा, अकाल, महामारी या अन्य प्राकृतिक आपदाएं;

(ग) युद्धात्मक कार्य या नागरिक असन्तोष

(घ) किसी न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण के किसी निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई अपेक्षा, या कार्रवाई करने में चूक

(ड.) भूकम्प, विस्फोट

11.4 निलम्बन तथा प्रतिसंहरण के लिए शर्तें

इस करार की यह शर्त है कि फ्रैंचाइजी सभी विनियमों, कोडों तथा मानकों और संगठन के आदेशों और निदेशों का अनुपालन करेगा। जब संगठन स्पष्टतः यह उल्लेख करता है कि उक्त आदेश का फ्रैंचाइजी द्वारा अनुपालन किया जाना है तथा उस आदेश का अनुपालन न किए जाने पर, किसी अन्य लागू आधार पर इस करार के प्रतिसंहरण के

लिए संगठन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस करार का प्रतिसंहरण किया जा सकता है।

11.5 पृथक्करणियता

यदि इस फ्रैंचाइज की कोई धारा, उपबंध या भाग सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय द्वारा अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित की जाती है या केन्द्र या राज्य विधि या विनियमों द्वारा उसे अग्रक्रय घोषित किया जाता है तो इस फ्रैंचाइज में अन्यथा उपबन्धित किए को छोड़कर, इस फ्रैंचाइजी का शेष भाग प्रभावित नहीं होगा।

11.6 संगठन द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला प्रशिक्षण

(क) संगठन, फ्रैंचाइजी संकल्पना के विकास के लिए संगठन में एक एकक का गठन करेगा जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति करने के लिए स्थाई प्रणाली उपलब्ध कराने संबंधी एक कदम होगा।

(ख) संगठन, अपने प्रचालनों के लिए नियुक्त कर्मियों में यथोचित जागरूकता लाने और अन्य पहलुओं सहित विशेषतः निम्नलिखित पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा।

(i) ओ एण्ड एम नियम पुस्तकों सहित तकनीकी मानक

(ii) सुरक्षा मानक तथा विद्युत साक्षरता

(iii) लेखाकरण प्रक्रियाएं

12. फ्रैंचाइजी को संगठन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज

12.1 सुरक्षा मानक

12.2 वितरण प्रणाली प्रचालन संबंधी मानक

12.3 लेखाकरण प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश

12.4 संगठन, अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 के अनुसार फ्रैंचाइज क्षेत्र का ब्यौरा तथा फ्रैंचाइज क्षेत्र के अन्दर वैद्युत बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति भी उपलब्ध कराएगा जो इस करार का अभिन्न भाग होगा।

(क) अनुसूची–1

फ्रैंचाइज क्षेत्र का ब्यौरेवार विवरण जिसमें संबंधित पंचायत संस्था/संस्थाओं के नाम सहित विद्यमान उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की गांव–वार सूची दर्शाई जाए।

(ख) अनुसूची–2

संबंधित फ्रैंचाइज क्षेत्र में स्थित संगठन की विद्यमान बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरेवार विवरण, भौगोलिक मानचित्र, विद्यमान बिछा हुआ वैद्युत नेटवर्क, मात्राएं तथा मूल्यह्रासित् लागत सहित, जिसके लिए फ्रैंचाइजी को फ्रैंचाइज वाले व्यवसाय को करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।